# अध्याय - IV

# वाहनों पर कर

# अध्याय-IV: वाहनों पर कर

## 4.1 कर प्रशासन

राज्य में मोटर वाहन कर एवं शुल्क का आरोपण एवं संग्रहण झारखण्ड मोटर वाहन करारोपण (झा.मो.वा.क.) अधिनियम, 2001 उसके अंतर्गत निर्मित नियमावलियों (झारखण्ड मोटर वाहन करारोपण (झा.मो.वा.क.) नियमावली, 2001), मोटर वाहन (मो.वा.) अधिनियम, 1988 एवं बिहार वित्तीय नियमावली (झारखण्ड सरकार द्वारा यथा अंगीकृत) के द्वारा शासित होता है।

शीर्ष स्तर पर, परिवहन आयुक्त (प.आ.), झारखण्ड परिवहन विभाग में अधिनियमों एवं नियमों के प्रशासन के लिए उत्तरदायी हैं। मुख्यालय में एक संयुक्त परिवहन आयुक्त (सं.प.आ.) द्वारा उनकी सहायता की जाती है। राज्य को चार क्षेत्रों[1] एवं 24 परिवहन जिलों[2] में बाँटा गया है, जो राज्य परिवहन प्राधिकारी (रा.प.प्रा.), क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारियों (क्षे.प.प्रा.) तथा जिला परिवहन पदाधिकारियों (जि.प.प.) से नियंत्रित होते हैं। उनकी सहायता मोटर वाहन निरीक्षकों, प्रवर्तन स्कंध और नौ चेक पोस्ट[3] द्वारा की जाती है।

## 4.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2014-15 के दौरान 'वाहनों पर कर' से संबंधित कुल 27 इकाइयों में से ` 421.48 करोड़ राजस्व संग्रहण वाले 17 इकाइयों के अभिलेखों के नमूना जाँच से 2,737 मामलों में ` 53.16 करोड़ राशि के कर का अनारोपण/अल्पारोपण, बैठान क्षमता/निबंधित लदान भार के गलत निर्धारण के कारण करों का कम आरोपण, ट्रेलरों से कर का उद्ग्रहण नहीं होना आदि उद्घटित हुआ जैसा कि **तालिका-4.2** में वर्णित है।

**तालिका-4.2**

**(` करोड़ में)**

| क्र.सं. | वर्गीकरण | मामलों की संख्या | राशि |
|---|---|---|---|
| 1 | **'परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली के साथ प्रदूषण मानकों के अनुपालन पर बल'** एक निष्पादन लेखापरीक्षा | 1 | 38.91 |
| 2 | करों का अनारोपण/अल्पारोपण | 648 | 3.94 |
| 3 | ट्रेलरों से कर का उद्ग्रहण नहीं होना | 1410 | 2.30 |
| 4 | अन्य मामले | 678 | 8.01 |
| **कुल** | | **2,737** | **53.16** |

[1] दुमका, हजारीबाग, पलामू एवं राँची।

[2] बोकारो, चाईबासा, चतरा, देवघर, धनबाद, दुमका, गढ़वा, गिरिडीह, गोड्डा, गुमला, हजारीबाग, जमशेदपुर, जामताड़ा, खूँटी (मार्च 2015 में अधिसूचित), कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, पलामू, पाकुड़, रामगढ़ (अप्रैल 2015 में अधिसूचित), राँची, साहिबगंज, सरायकेला-खरसावाँ, एवं सिमडेगा।

[3] बहरागोड़ा (पूर्वी सिंहभूम), बाँसजोर (सिमडेगा), चास मोड़ (बोकारो), चौपारण (हजारीबाग), चिरकुंडा (धनबाद), धुलियान (पाकुड़), माँझाटोली (गुमला), मेघातरी (कोडरमा), एवं मुरीसेमर (गढ़वा)।

वर्ष के दौरान, विभाग ने 2,737 मामलों में ` 53.16 करोड़ की संपूर्ण राशि के मोटर वाहन कर, शुल्क, अर्थदण्ड, इत्यादि के अनारोपण/अल्पारोपण को स्वीकार किया और 20 मामलों में ` 1.37 करोड़ की वसूली की, जो लेखापरीक्षा द्वारा 2014-15 में इंगित किये गये।

इस अध्याय में हम ` 45.74 करोड़ के वित्तीय प्रभाव के '**परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली के साथ प्रदूषण मानकों के अनुपालन पर बल**' पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा सहित कुछ मामले दृष्टांतस्वरूप प्रस्तुत करते हैं। विभाग ने ` 45.74 करोड़ सन्निहित वित्तीय मामले की सभी लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार किया। इनकी चर्चा अनुवर्त्ती कंडिकाओं में की गयी है।

## 4.3 "परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली के साथ प्रदूषण मानकों के अनुपालन पर बल"

### विशिष्टताएँ

नीलामपत्रवाद मामलों का निष्पादन अत्यंत अपर्याप्त था क्योंकि विभाग वर्ष 2009-10 से 2013-14 के दौरान 23,561 मामलों के विरूद्ध 669 नीलामपत्रवाद मामलों का ही निष्पादन कर सका, जिसमें 20,214 मामले 2009-10 के पूर्व के थे।

**(कंडिका 4.3.9)**

चयनित कार्यालयों में 10,653 वैयक्तिक वाहनों में से 1,172 वैयक्तिक वाहनों के मामले में जिनकी कर वैधता जुलाई 2005 एवं नवम्बर 2014 के बीच समाप्त हो गयी थी, के मामले में ` 2.92 करोड़ का एकमुश्त कर का आरोपण नहीं किया गया, क्योंकि सॉफ्टवेयर में प्रमादियों को माँग पत्र स्वत: सृजित करने का प्रावधान नहीं था।

**(कंडिका 4.3.10.1)**

झा.मो.वा.क. (संशोधन) अधिनियम, 2011 के लागू होने के चार वर्ष के उपरान्त भी विभाग द्वारा अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न करने हेतु लोक सेवा वाहनों का उनकी उम्र और यात्री सुविधा के आधार पर एक्सप्रेस, सेमी डीलक्स, डीलक्स, ए.सी. डीलक्स बस में वर्गीकरण एवं तदनुसार करारोपण नहीं किया गया।

**(कंडिका 4.3.13)**

11 परिवहन कार्यालयों में 26,121 वाहनों में से 5,374 वाहन स्वामियों द्वारा जून 2009 एवं जून 2015 के मध्य देय ` 26.51 करोड़ के कर एवं अर्थदंड का न तो भुगतान किया और न ही विभाग द्वारा माँग की गयी।

**(कंडिका 4.3.16 एवं 4.3.17)**

11 चयनित जिलों में से आठ परिवहन कार्यालयों एवं परिवहन आयुक्त, झारखण्ड के कार्यालय में 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान संग्राहक बैंकों ने उनके द्वारा संग्रहित राजस्व को विलम्ब से सरकारी खाते में प्रेषण पर देय ` 7.29 करोड़ का ब्याज जमा नहीं किया।

**(कंडिका 4.3.19.1)**

राज्य में मार्च 2014 तक कुल निबंधित 34,51,564 वाहनों में शामिल 9,09,001 वाहन जो 15 वर्ष से अधिक पुराने थे, लेकिन विभाग द्वारा पुराने वाहनों को क्रमिक रूप से हटाने की कोई नीति नहीं थी।

**(कंडिका 4.3.20.1)**

राज्य के 24 जिलों में से मात्र 11 जिलों में ही प्रदूषण जाँच केन्द्र प्राधिकृत थे। वर्ष 2009-10 से 2013-14 के दौरान 8.84 लाख नये निबंधित वाहनों के विरूद्ध 4.09 लाख पी.यू.सी. प्रमाणपत्र निर्गत किया गया। विभाग को पी.यू.सी. के सहित या रहित

वाहनों की कोई सूचना उपलब्ध नहीं थी। प्रदूषण जाँच उपकरण जैसे स्मोक मीटर, गैस एनालाईज़र आदि परिवहन पदाधिकारियों को उपलब्ध नहीं कराये गये थे

**(कंडिका 4.3.20.2 एवं 4.3.20.3)**

मोटर यान निरीक्षकों द्वारा सेवा कर राशि सहित ` 27.67 करोड़ का राजस्व वाहनों के फिटनेस मद में वसूल किया गया लेकिन ` 3.07 करोड़ सेवा कर की राशि '0044 सेवा कर' शीर्ष के अंतर्गत जमा नहीं किया गया।

**(कंडिका 4.3.22)**

### 4.3.1 परिचय

राज्य (तत्कालीन बिहार राज्य) में मोटर वाहन विभाग की स्थापना मोटर वाहन अधिनियम, 1939 जो मोटर वाहन अधिनियम, 1988 द्वारा प्रतिस्थापित हुआ, के प्रावधानों के अंतर्गत 1972-73 में किया गया था। 15 नवंबर 2000 को झारखण्ड राज्य के गठन होने पर बिहार राज्य के विद्यमान अधिनियमों, नियमों, विभागीय निर्देशों को झारखण्ड राज्य द्वारा अंगीकृत किया गया। राज्य में मोटर वाहन कर एवं शुल्क का आरोपण और संग्रहण झारखण्ड मोटर वाहन करारोपण (झा.मो.वा.क.) अधिनियम, 2001 तथा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों, (झारखण्ड मोटर वाहन (झा.मो.वा.) नियमावली, 2001), मोटर वाहन (मो.वा.) अधिनियम, 1988 एवं बिहार वित्तीय नियमावली (झारखण्ड सरकार द्वारा यथा अंगीकृत) के द्वारा शासित होता है।

विभाग का मुख्य कार्य ड्राइविंग लाइसेंस, निबंधन प्रमाण-पत्र, दुरुस्ती प्रमाणपत्र, व्यापार प्रमाणपत्र, राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र, संविदा वाहन अनुज्ञापत्र, स्टेज वाहन अनुज्ञापत्र इत्यादि निर्गत करना है। प्रभावी नियंत्रण, शीघ्र अनुवीक्षण और बेहतर लोक सेवा प्रदान करने के लिए विभाग ने अगस्त 2004 में 'वाहन' एवं 'सारथी' सॉफ्टवेयर लागू किया। वाहन सॉफ्टवेयर द्वारा वाहनों का निबंधन, करारोपण एवं अनुज्ञा पत्र का कार्य किया जाता है और सारथी द्वारा नौसिखिया ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस एवं कंडक्टर लाइसेंस निर्गत किया जाता है। सारथी सॉफ्टवेयर का कार्य संतोषप्रद था और शुल्क का आरोपण निर्धारित नियम के अनुकूल था।

निजी वाहनों के मामले में 15 वर्षों के लिए एक बार कर का उद्ग्रहण किया जाता है, जबकि वाणिज्यिक वाहनों के लिये, वाहन मालिकों के तिमाही, अर्द्धवार्षिक या वार्षिक भुगतान के विकल्प पर यह प्रत्येक वर्ष वसूला जाता है। इस प्रकार से संगृहीत मोटर वाहन कर को मुख्य लेखाशीर्ष '0041 वाहनों के कर' के अंतर्गत सरकारी खाते में जमा किया जाता है। मार्च 2014 तक कुल 34,51,564 वाहनों का निबंधन किया गया जिनमें से 9,09,001 वाहन 15 वर्ष पुराने थे।

जल (प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 4 के अंतर्गत झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (झा.रा.प्र.नि.बो.) गठित किया गया और दिसंबर 2001 से कार्य करना प्रारंभ किया।

### 4.3.2 संगठनात्मक ढाँचा

शीर्ष स्तर पर, झारखण्ड परिवहन विभाग में अधिनियमों एवं नियमों के प्रशासन के लिए परिवहन आयुक्त (प.आ.) उत्तरदायी हैं। वे मोटर वाहन विभाग के प्रमुख होते हैं जो सभी नीतिगत मामले देखते हैं और राज्य परिवहन प्राधिकार के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में भी कार्य करते हैं। मुख्यालय में एक संयुक्त परिवहन आयुक्त

द्वारा उनकी सहायता की जाती है। राज्य को चार क्षेत्रों[4] में बाँटा गया है जिसका नियंत्रण क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी द्वारा होता है, जो क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के सचिव के रूप में कार्य करते हैं। क्षेत्र को अग्रेत्तर 24 परिवहन जिलों[5] बाँटा गया है जिसका नियंत्रण जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा होता है जो अनुज्ञप्ति, निबंधन एवं करारोपण प्राधिकारी का कार्य करते हुए कर आरोपण और संग्रहण के लिए उत्तरदायी होते हैं। उनकी सहायता के लिए प्रवर्तन स्कन्ध, नौ चेक पोस्ट[6] और मोटर वाहन निरीक्षक (मो.वा.नि.) होते हैं, जो वाहनों की जाँच करने और दुरुस्ती प्रमाणपत्र निर्गत करने के लिए उत्तरदायी होते हैं।

### 4.3.3 लेखापरीक्षा का उद्देश्य

हमने निष्पादन लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए संचालित किया कि:

- सरकारी राजस्व के आरोपण और संग्रहण की प्रणाली अधिनियमों, नियमों तथा विभागीय निर्देशों के प्रावधानों को लागू करने हेतु पर्याप्त थे;
- मोटर वाहनों के लिए विनिर्दिष्ट प्रदूषण मापदंडों का दृढ़तापूर्वक पालन किया गया; और
- राजस्व क्षरण की रोकथाम हेतु कानून, नियम और विभागीय निर्देशों के प्रभावी प्रवर्तन के लिए विभाग के आंतरिक नियंत्रण उपाय प्रभावकारी थे।

### 4.3.4 लेखापरीक्षा का आधार

हमने निष्पादन लेखापरीक्षा निम्नलिखित अधिनियमों एवं नियमों के अंतर्गत बनाए गये प्रावधानों के सन्दर्भ में संचालित किया :

- मोटर वाहन अधिनियम, 1988;
- केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989;
- झारखण्ड मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 2001;
- झारखण्ड मोटर वाहन करारोपण नियमावली, 2001;
- झारखण्ड मोटर वाहन नियमावली, 2001; और
- विभागीय निर्देश।

---

[4] दुमका, हजारीबाग, पलामू एवं राँची।

[5] बोकारो, चाईबासा, चतरा, देवघर, धनबाद, दुमका, गढ़वा, गिरिडीह, गोड्डा, गुमला, हजारीबाग, जमशेदपुर, जामताड़ा, खूँटी (मार्च 2015 में अधिसूचित), कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, पलामू, पाकुड़, रामगढ़ (अप्रैल 2015 में अधिसूचित), राँची, साहिबगंज, सरायकेला-खरसावाँ, एवं सिमडेगा।

[6] बहरागोड़ा (पूर्वी सिंहभूम), बाँसजोर (सिमडेगा), चास मोड़ (बोकारो), चौपारण (हजारीबाग), चिरकुंडा (धनबाद), धुलियान (पाकुड़), माँझाटोली (गुमला), मेघातरी (कोडरमा), एवं मुरीसेमर (गढ़वा)।

### 4.3.5 लेखापरीक्षा का विस्तार और कार्य क्षेत्र

वर्ष 2009-10 से 2013-14 अवधि के दौरान अधिनियम/नियमावलियों के प्रावधानों के अनुरूप करों/शुल्कों के आरोपण/संग्रहण करने तथा प्रदूषण मानकों के अनुपालन कराने में विभाग की कार्य कुशलता एवं प्रभावकारिता को सुनिश्चित करने में परिवहन विभाग की कार्य प्रणाली को आच्छादित करते हुए अक्टूबर 2014 तथा जून 2015 के बीच निष्पादन लेखापरीक्षा संचालित की गई। हमने निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए परिवहन आयुक्त, झारखण्ड, राँची कार्यालय सहित 24 जिला परिवहन कार्यालयों में से 11 जिला परिवहन कार्यालयों का चयन किया। 11 जिला परिवहन कार्यालयों[7] में से पाँच को उनके उच्च राजस्व संग्रहण तथा छः को यादृच्छिक प्रतिचयन अप्रतिस्थापन विधि द्वारा चयनित किया गया।

### 4.3.6 लेखापरीक्षा प्रणाली

हमने चयनित जिलों तथा परिवहन आयुक्त, झारखण्ड के कार्यालय में करारोपण पंजी, निबंधन पंजी, व्यापार कर पंजी/संचिका, अनुज्ञा-पत्र पंजी, बैंक विवरणी, दुरुस्ती प्रमाणपत्र पंजी, वर्तमान पता दर्ज करने की पंजी आदि का नमूना जाँच किया। अग्रेत्तर, राष्ट्रीय सूचना केंद्र (एन.आई.सी.) झारखण्ड राज्य इकाई, राँची से चयनित जिला परिवहन कार्यालयों का कंप्यूटरीकृत आँकड़ा प्राप्त किया। कंप्यूटरीकृत आँकड़ों की जिलों में संधारित हस्तचालित अभिलेखों से तिर्यक-जाँच की गयी।

हमने सचिव, परिवहन विभाग, झारखण्ड सरकार के साथ 09 फरवरी 2015 को प्रवेश सम्मेलन आयोजित किया जिसमें लेखापरीक्षा का उद्देश्य, लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं इसकी कार्य प्रणाली की विस्तार से चर्चा की गयी। सचिव, परिवहन विभाग, झारखण्ड सरकार के साथ बहिर्गमन सम्मेलन 10 अगस्त 2015 को आयोजित की गयी जिसमें निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणाम, निष्कर्ष और अनुशंसाओं की चर्चा की गई। सरकार/विभाग के विचारों को प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया है।

### 4.3.7 आभारोक्ति

भारतीय लेखा और लेखापरीक्षा विभाग लेखापरीक्षा हेतु आवश्यक सूचनायें और अभिलेखों को उपलब्ध कराने में परिवहन विभाग, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा राष्ट्रीय सूचना केंद्र (एन.आई.सी.) झारखण्ड राज्य इकाई, राँची के सहयोग हेतु आभार प्रकट करता है।

### 4.3.8 परिवहन विभाग का राजस्व योगदान

मुख्य शीर्ष '0041-वाहनों पर कर' के अंतर्गत प्राप्तियों में कर, अतिरिक्त मोटर वाहन कर, शुल्क एवं अर्थदंड निहित है।

---

[7] बोकारो, धनबाद, दुमका, गढ़वा, गोड्डा, हजारीबाग, जमशेदपुर, लोहरदगा, पाकुड़, पलामू एवं राँची।

बिहार वित्तीय नियमावली (बि.वि.नि.), भाग-1, झारखण्ड सरकार द्वारा यथा अंगीकृत, के प्रावधानों के अनुसार राजस्व के अनुमानों की तैयारी का दायित्व वित्त विभाग (वि.वि.) में निहित है। परिवहन विभाग के सचिव शुद्ध अनुमानों के संकलन और उसे वित्त विभाग द्वारा निर्धारित तिथि को वित्त विभाग के पास भेजने के लिए उत्तरदायी हैं।

वर्ष 2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान संशोधित अनुमानों (सं.अ.) के विरुद्ध मुख्य शीर्ष '0041-वाहनों पर कर' के अंतर्गत वास्तविक प्राप्तियाँ तथा उसी अवधि के दौरान राज्य का कुल कर राजस्व एवं कुल राजस्व **तालिका 4.3.8** में दर्शाया गया है।

**तालिका 4.3.8**

**(` करोड़ में)**

| वर्ष | संशोधित अनुमान | वास्तविक प्राप्तियाँ | राज्य का कुल कर राजस्व | राज्य का कुल राजस्व | विचरण का प्रतिशत (कॉलम 2 से 3) | राज्य के कुल राजस्व में वाहनों पर करों का योगदान प्रतिशत (कॉलम 3 से 5) | राज्य के कुल कर राजस्व में वाहनों पर करों का योगदान प्रतिशत (कॉलम 3 से 4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2009-10 | 500.00 | 234.21 | 4,500.12 | 6,754.27 | (-) 53 | 3.47 | 5.20 |
| 2010-11 | 440.00 | 312.37 | 5,716.63 | 8,519.52 | (-) 29 | 3.67 | 5.46 |
| 2011-12 | 356.00 | 391.92 | 6,953.89 | 9,992.11 | (+) 10.09 | 3.92 | 5.64 |
| 2012-13 | 550.00 | 465.36 | 8,223.67 | 11,759.30 | (-) 15.39 | 3.96 | 5.66 |
| 2013-14 | 639.40 | 494.79 | 9,379.79 | 13,132.50 | (-) 22.62 | 3.77 | 5.28 |

स्त्रोत: झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे एवं झारखण्ड सरकार के राजस्व और प्राप्तियों के विवरण के अनुसार संशोधित अनुमान।

उपरोक्त तालिका दर्शाता है कि सिवाय वर्ष 2011-12 के दौरान, विभाग संशोधित बजट अनुमानों की प्राप्ति नहीं कर सका। हालाँकि, 2009-10 की तुलना में 2013-14 के दौरान वास्तविक प्राप्तियाँ 111.26 प्रतिशत बढ़ी। वर्ष 2009-10 और 2013-14 की अवधि के दौरान संशोधित बजट अनुमानों की तुलना में वास्तविक प्राप्तियों में कमी का दायरा 53 प्रतिशत एवं 15.39 प्रतिशत था। बजट अनुमानों की तैयारी से संबंधित हमारी पृच्छा के जवाब में विभाग ने कहा (जून 2015) कि बजट अनुमान वित्त विभाग द्वारा तैयार किये गये थे।

### 4.3.9 बकाये राजस्व का संग्रहण

झा.मो.वा.क. अधिनियम, 2001 की धारा 21 के प्रावधानों के अनुसार कोई भी कर, शुल्क और अर्थदंड भू-राजस्व के बकाये की तरह से ही वसूल की जा सकती है। लोक माँग वसूली अधिनियम, 1914 के अंतर्गत राजस्व पर्षद के निर्देशानुसार, माँग अधिकारी एवं नीलामपत्रवाद अधिकारी, नीलामपत्रवाद के समयबद्ध निष्पादन के लिए

संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं तथा नीलामपत्रवाद के निष्पादन में अनावश्यक देरी को एक दूसरे के और यदि आवश्यक हो तो समाहर्त्ता के ध्यान में लाने के लिए बाध्य हैं।

चयनित जिला परिवहन कार्यालयों तथा परिवहन आयुक्त कार्यालय से बकाए नीलामपत्रवाद के ब्यौरे की माँग की गई। प्रस्तुत सूचना के अनुसार (नवम्बर 2014 और जून 2015 के बीच) वर्ष 2009-10 से 2013-14 के दौरान बकाए नीलामपत्रवाद और उनके निष्पादन की स्थिति **तालिका 4.3.9** में दी गयी है।

**तालिका 4.3.9**

**(` करोड़ में )**

| वर्ष | प्रा शेष. | | वर्ष के दौरान योग | | वर्ष के दौरान निष्पादन | | अंतिम शेष | | निष्पादन की प्रतिशतता |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | मामले | राशि | मामले | राशि | मामले | राशि | मामले | राशि | |
| 2009-10 | 20,214 | 107.05 | 570 | 2.70 | 82 | 0.69 | 20,702 | 109.06 | 0.41 |
| 2010-11 | 20,702 | 109.05 | 256 | 1.02 | 59 | 0.24 | 20,899 | 109.84 | 0.28 |
| 2011-12 | 20,899 | 109.82 | 1,233 | 10.02 | 76 | 0.96 | 22,056 | 118.88 | 0.36 |
| 2012-13 | 22,056 | 118.88 | 509 | 1.83 | 242 | 0.57 | 22,323 | 120.14 | 1.10 |
| 2013-14 | 22,323 | 120.14 | 779 | 3.12 | 210 | 1.03 | 22,892 | 122.23 | 0.94 |
| **कुल** | | | **3,347** | **18.69** | **669** | **3.49** | | | |

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि नीलामपत्रवाद का निष्पादन काफी दयनीय था जो 0.28 से 1.10 प्रतिशत के बीच था। हमने, अग्रेत्तर प्रेक्षण किया कि अगस्त 2013 में विभाग द्वारा जिला परिवहन पदाधिकारियों को नीलामपत्रवाद अधिकारियों का उत्तरदायित्व सौंपा गया, मामलों के निष्पादन में वर्ष 2013-14 में वृद्धि नहीं हुई थी। बकाए नीलामपत्रवाद का अवधिवार ब्यौरा हालाँकि माँगा गया था (जून 2015), विभाग द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया था (अक्टूबर 2015)। तथापि, 31 मार्च 2015 को विभाग का नीलामपत्रवाद बकाया ` 215.34 करोड़ था जैसा कि इस प्रतिवेदन के कंडिका 1.2 में उल्लिखित है।

मामले को हमारे द्वारा इंगित किये जाने के बाद (नवंबर 2014 एवं जून 2015 के बीच) जि.प.प. ने कहा (नवंबर 2014 एवं जून 2015 के बीच) कि मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए कार्रवाई की जायेगी। परिवहन सचिव ने आश्वस्त किया (अगस्त 2015) कि नीलामपत्रवाद मामले के निष्पादन के लिए समर्पित सेवानिवृत्त अधिकारियों की तैनाती की जायेगी। तदंतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।

**हम अनुशंसा करते हैं कि सरकार सभी क्षेत्रीय इकाइयों के लिए वसूली का लक्ष्य निर्धारित कर बकाए में कमी लाने हेतु उपयुक्त कदम उठाये।**

## लेखापरीक्षा अवलोकन

हमने परिवहन विभाग के कार्य प्रणाली की समीक्षा की और पाया कि चयनित जिलों में अवधि के दौरान कुल 11,46,256 नये वाहन निबंधित हुए। नमूना जाँच किये गये

10,653 में से 1,172 वैयक्तिक वाहन, 20,151 में से 2,781 परिवहन वाहन एवं 5,970 में से 2,593 ट्रेलरों में बड़ी अनियमितताएँ पायी गयी। इन कमियों के साथ अन्य की चर्चा अनुवर्ती कंडिकाओं में की गयी है।

## कर का आरोपण नहीं होना

### 4.3.10 वैयक्तिक वाहनों पर एकमुश्त कर का आरोपण नहीं होना

**1,178 वैयक्तिक वाहनों से एकमुश्त कर एवं अर्थदंड का आरोपण नहीं हुआ।**

**4.3.10.1** छ: से 10 बैठान क्षमता वाले प्रमादी वैयक्तिक वाहन पर आरोप्य एकमुश्त कर व अर्थदंड ` 3.06 करोड़ जिला परिवहन पदाधिकारियों द्वारा आरोपित नहीं किया गया।

हमने जून 2014 एवं जून 2015 के बीच चयनित जिला परिवहन कार्यालयों में करारोपण पंजी एवं कंप्यूटरीकृत आँकड़े के नमूना जाँच से पाया कि 10,653 वैयक्तिक वाहनों में से 1,172 की कर वैधता जुलाई 2005 और नवम्बर 2014 के बीच समाप्त हो गयी थी। इन मामलों में से किसी में भी झा.मो.वा.क. अधिनियम, 2001 की धारा 9 के अंतर्गत वाहन मालिकों के पते में परिवर्तन या मो.वा. अधिनियम, 1988 की धारा 55 के अंतर्गत निबंधन का निरस्तीकरण नहीं पाया गया। जि.प.प. ने न तो माँग, वसूली एवं बकाया पंजियों की आवधिक समीक्षा की और न ही सॉफ्टवेयर में प्रमादियों के लिये माँग पत्र स्वत: उत्पन्न करने का प्रावधान था। इसके परिणामस्वरुप झारखण्ड मोटर वाहन करारोपण (संशोधन) अधिनियम, 2011 की धारा 2(जी) तथा झा. मो. वा. क. अधिनियम, 2001 की धारा 7 के तहत उद्ग्रहणीय ` 1.26 करोड़ के ब्याज सहित ` 2.92 करोड़ के एकमुश्त कर का आरोपण नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त, झा.मो.वा.क. अधिनियम, 2001 की धारा 5 एवं झा.मो.वा.क. नियमावली, 2001 के नियम 4 के अंतर्गत 22 मई 2011 तक ` 9.63 लाख के अर्थदंड सहित ` 14.45 लाख का कर भी आरोप्य था।

**4.3.10.2** हमने जिला परिवहन कार्यालय, पाकुड़ में पाया (फरवरी 2015) कि छ: से 10 सीटों की बैठान क्षमता वाले नमूना जाँच किये गये 118 वैयक्तिक वाहनों में से छ: के मामले में वाहन मालिकों से, एकमुश्त कर के बजाय ` 37,374 के वार्षिक कर का उद्ग्रहण किया गया। इसके परिणामस्वरूप ` 22,900 के ब्याज सहित ` 1.03 लाख के सरकारी राजस्व का कम आरोपण हुआ।

मामले को हमारे द्वारा इंगित किये जाने के बाद (नवम्बर 2014 और जून 2015 के बीच) छ: जि.प.प.[8] ने सूचित किया (अगस्त 2015) कि प्रमादी वाहन मालिकों के विरूद्ध माँग पत्र निर्गत किये गये हैं और चार जि.प.प.[9] ने 88 मामलों में ` 22.73 लाख राशि की वसूली की है। परिवहन सचिव ने जि.प.प. को बड़े प्रमादियों की

[8] बोकारो, धनबाद, गढ़वा, जमशेदपुर, पलामू एवं राँची।

[9] धनबाद, जमशेदपुर, पलामू एवं राँची।

पहचान करने और बकाये कर के उद्ग्रहण के लिए गहन अभियान शुरू करने का निर्देश दिया (अगस्त 2015)। तदंतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।

### 4.3.11 बैठान क्षमता का गलत निर्धारण

**लोक सेवा वाहन की बैठान क्षमता का निर्धारण उनके व्हीलबेस के अनुसार नहीं होने के परिणामस्वरुप ` 12.22 लाख के कर का कम आरोपण हुआ।**

हमने जून 2014 एवं जून 2015 के बीच चयनित जिलों में कंप्यूटरीकृत आँकड़े के सत्यापन सहित निबंधन पंजी और करारोपण पंजी का नमूना जाँच किया और आठ जि.प.का.[10] में पाया कि नमूना जाँच किये गये 1,304 परिवहन वाहनों में से 160 वाहनों ने मई 2011 से मार्च 2015 की अवधि के लिए उनके व्हीलबेस के अनुसार बैठान क्षमता से कम बैठान क्षमता अपनाकर करों का भुगतान किया। अधिनियम प्रावधान करता है कि लोक सेवा वाहन के मालिक द्वारा व्हीलबेस के अनुसार निर्धारित बैठान क्षमता के आधार पर करों का भुगतान किया जायेगा। यह इंगित करता है कि जि.प.प. ने परिवहन वाहनों से कर की लोक सेवा वाहनों से करों की वसूली के दौरान झा.मो.वा.क.(संशोधन) अधिनियम, 2011 की धारा 7(3) के प्रावधान को लागू नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप ` 12.22 लाख राशि के करों का कम आरोपण हुआ।

मामले को हमारे द्वारा इंगित किये जाने के बाद (जून 2014 एवं जून 2015 के बीच) पाँच जि.प.प.[11] ने सूचित किया (अगस्त 2015) कि अंतर कर हेतु माँग पत्र निर्गत किये गये हैं और जि.प.प., पलामू ने नौ मामलों में ` 41,980 की वसूली की सूचना दी (अगस्त 2015)। तदंतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।

### 4.3.12 लोक सेवा वाहनों का व्हीलबेस अभिलेखित नहीं किया जाना

हमने चयनित जिलों के कंप्यूटर प्रणाली में तथ्यों के सत्यापन सहित निबंधन पंजी का जनवरी एवं मई 2015 के बीच नमूना जाँच किया और सात जिला परिवहन कार्यालयों[12] में पाया कि नमूना जाँच किये गये 2,916 वाहनों में से 1,330 लोक सेवा परिवहन वाहनों का व्हीलबेस कंप्यूटर प्रणाली में अभिलेखित नहीं किया गया था। व्हीलबेस की अनुपस्थिति में, सही बैठान क्षमता का निर्धारण सुनिश्चित नहीं किया जा सका साथ ही यह विभाग के कमजोर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को इंगित किया।

मामले को हमारे द्वारा इंगित किये जाने के बाद (जनवरी एवं मई 2015 के बीच) जि.प.प. ने कहा (जनवरी एवं मई 2015 के बीच) कि इस संबंध में कंप्यूटर

[10] बोकारो, दुमका, गढ़वा, गोड्डा, हजारीबाग, जमशेदपुर, पलामू एवं राँची।

[11] बोकारो, गढ़वा, जमशेदपुर, पलामू एवं राँची।

[12] बोकारो, दुमका, गढ़वा, हजारीबाग, लोहरदगा, पलामू एवं राँची।

ऑपरेटरों को आवश्यक निर्देश दिये जायेंगे। तदंतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।

### 4.3.13 लोक सेवा वाहनों का वर्गीकरण नहीं होना

**अधिनियम के प्रवर्तन के चार वर्षों के उपरांत लोक सेवा वाहनों का एक्सप्रेस, सेमी-डीलक्स, डीलक्स और ए.सी. डीलक्स बसों के रुप में वर्गीकरण नहीं किया गया।**

विभाग द्वारा बनायी गयी नीतियों की समीक्षा के दौरान हमने पाया (अप्रैल 2015) कि लोक सेवा वाहनों का वर्गीकरण अभी तक नहीं किया गया यद्यपि प्रावधान 23 मई 2011 से प्रभाव में था। झा.मो.वा.क. (संशोधन) अधिनियम, 2011 की धारा 7(3) लोक सेवा वाहनों की उनके व्हीलबेस पर बैठान क्षमता का निर्धारण करता है। अग्रेतर, बसों को उनकी उम्र तथा यात्री सुविधाओं के आधार पर एक्सप्रेस, सेमी-डीलक्स, डीलक्स, एवं ए.सी. डीलक्स बस के रुप में वर्गीकृत किया जाना था और अतिरिक्त राजस्व सृजित करने के लिए तद्नुसार करारोपित किया जाना था। पड़ोसी राज्यों छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और बिहार ने लोक सेवा वाहनों को वर्गीकृत किया है और तद्नुसार करारोपण किया जा रहा है। झा.मो.वा.क. अधिनियम, 2001 की धारा 5 यह प्रावधान करता है कि प्रत्येक परिवहन वाहन के मालिक को पथ कर एवं अतिरिक्त मोटर वाहन कर का भुगतान उसमें उल्लिखित दरों से करना है।

मामले को हमारे द्वारा इंगित किये जाने के बाद (अप्रैल 2015) परिवहन सचिव ने बहिर्गमन सम्मेलन (अगस्त 2015) में कहा कि कैबिनेट की सहमति से बसों के वर्गीकरण के लिए अधिसूचना जारी की जाएगी। तदंतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।

**हम अनुशंसा करते हैं कि सरकार को सॉफ्टवेयर में व्हीलबेस के फील्ड को अनिवार्य बनाना और लोक सेवा वाहनों को उनकी उम्र और यात्री सुविधाओं के आधार पर वर्गीकृत करना चाहिए।**

### 4.3.14 स्थानीय निबंधन चिन्ह का आवंटन नहीं होना

**अन्य राज्यों से आए वाहनों को राज्य का स्थानीय निबंधन चिन्ह नहीं दिया गया परिणामस्वरुप ` 16.42 लाख के राजस्व का आरोपण नहीं हुआ।**

हमने नवम्बर 2014 एवं जून 2015 के बीच चयनित जिलों में वाहनों के कर स्थिति के जाँच से पाया कि नमूना जाँच किये गये 3,297 परिवहन वाहनों में से 2,774 वाहन स्थानीय निबंधन चिन्ह प्राप्त किये बिना पूर्व राज्यों के निबंधन संख्या के साथ 12 महीनों से अधिक अवधि तक जिले में रहे जो मो.वा.अधिनियम, 1988 की धारा 47 के प्रावधानों एवं उसके अंतर्गत बनाए गये नियमावली के विरुद्ध था। अधिनियम कहता है कि जब एक राज्य में निबंधित वाहन अन्य राज्य में 12 महीने से अधिक अवधि तक रखा गया हो तो वाहन मालिक नये निबंधन प्राधिकारी के पास नया निबंधन चिन्ह आवंटित करने हेतु आवेदन देगा। यदि वाहन मालिक 12 महीने के

अंदर आवेदन करने में विफल रहता है तो उसे अर्थदंड का भुगतान करना होगा, जो प्रथम अपराध के लिए ` 100 और दूसरे या परवर्ती अपराधों के लिए ` 300 तक होता है। जि.प.प. द्वारा अन्य राज्यों से स्थानांतरित वाहनों को स्थानीय निबंधन चिन्ह आवंटित करने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गयी। इसने जि.प.प. द्वारा इस प्रकार के वाहनों को चिन्हित करने के अनुश्रवण में कमी को दर्शाया, जिसके परिणास्वरुप शुल्क ` 13.64 लाख और अर्थदंड जुर्माना ` 2.77 लाख के रुप में राजस्व का आरोपण नहीं हुआ।

मामले को हमारे द्वारा इंगित किये जाने के बाद (नवम्बर 2014 एवं जून 2015 के बीच) जि.प.प. ने कहा (नवम्बर 2014 एवं जून 2015 के बीच) कि संबंधित वाहन मालिकों को स्थानीय समाचार पत्र/मीडिया द्वारा स्थानीय निबंधन चिन्ह प्राप्त करने के लिए निर्देश दिया जायेगा, जबकि छः जि.प.प.[13] ने प्रेस ज्ञापन द्वारा इस संबंध में नोटिस दिया। तदंतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।

### 4.3.15 निबंधन प्रमाणपत्र का नवीनीकरण नहीं होना

**निजी वाहनों के निबंधन प्रमाणपत्र उनकी वैधता की समाप्ति के पश्चात नवीनीकृत नहीं किये गये, परिणामस्वरूप ` 36.02 लाख का आरोपण नहीं हुआ।**

हमने अक्तूबर 2014 एवं जून 2015 के बीच चयनित जिलों में कंप्यूटरीकृत आँकड़े के साथ करारोपण पंजी के नमूना जाँच से पाया कि नमूना जाँच किये गये 1,191 निजी वाहनों में से 1,051 ने वैधता की समाप्ति के पश्चात निबंधन के नवीनीकरण के लिए आवेदन नहीं दिया। मो.वा.अधिनियम, 1988 की धारा 41(7) के अंतर्गत परिवहन वाहन से भिन्न अन्य वाहनों का निबंधन प्रमाणपत्र जारी किये जाने की तिथि से 15 वर्षों की अवधि के लिए वैध होगा और अगले पाँच वर्षों के लिए नवीनीकरण के योग्य होगा। के.मो.वा. नियमावली, 1989 का नियम 52 प्रावधान करता है कि निबंधन प्रमाणपत्र के नवीनीकरण के लिए आवेदन नियम 81 में निर्दिष्ट उचित शुल्क तथा झा.मो.वा.क. अधिनियम, 2001 की धारा 7 के अंतर्गत अनुसूची-I (भाग ए) में संलग्न कर के साथ निबंधन प्राधिकारी के समक्ष प्रपत्र-25 में प्रस्तुत किया जायेगा। इनमें से किसी भी मामले में झा.मो.वा.क. अधिनियम, 2001 की धारा 9 के अंतर्गत वाहन मालिकों के पते में परिवर्तन या मो.वा. अधिनियम, 1988 की धारा 55 के अंतर्गत निबंधन का निरस्तीकरण अभिलेख में नहीं पाया गया। कार्यालय ने संबंधित वाहन मालिकों को निबंधन प्रमाणपत्र के नवीनीकरण के आवेदन के लिए नोटिस निर्गत नहीं किया। इसके फलस्वरुप निबंधन शुल्क तथा दुरुस्ती शुल्क सहित कर के रूप में ` 36.02 लाख के सरकारी राजस्व का आरोपण नहीं हुआ।

मामले को हमारे द्वारा इंगित किये जाने के बाद (अक्तूबर 2014 एवं जून 2015 के बीच) जि.प.प. ने कहा (अक्तूबर 2014 एवं जून 2015 के बीच) कि स्थानीय

[13] बोकारो, धनबाद, गढ़वा, जमशेदपुर, पलामू एवं राँची।

समाचारपत्र/मीडिया के माध्यम से वाहन मालिकों को वाहनों, जिनकी वैधता अवधि समाप्त हो चुकी है, के निबंधन के नवीनीकरण के लिए सूचित किया जायगा, जबकि छ: जि.प.प.[14] ने प्रेस ज्ञापन के माध्यम से इस संबंध में नोटिस दिया। परिवहन सचिव ने जि.प.प को बकाये कर के उद्ग्रहण के लिए एक गहन अभियान आरंभ करने का निर्देश दिया (अगस्त 2015)। तदंतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।

**हम अनुशंसा करते हैं कि सरकार वैधता अवधि समाप्त हो चुके वाहनों की पहचान करने के लिये निबंधित वैयक्तिक वाहनों की आवधिक समीक्षा के प्रतिपादन पर विचार कर सकती है।**

## करों का संग्रहण

### 4.3.16 परिवहन वाहनों से करों का संग्रहण नहीं होना

**प्रमादी वाहन मालिकों से उद्ग्रहणीय ` 23.11 करोड़ का कर एवं अर्थदंड जिला परिवहन पदाधिकारियों द्वारा संग्रह नहीं किया गया।**

हमने चयनित जिलों में जून 2014 और जून 2015 के बीच करारोपण पंजी, मांग संग्रहण एवं बकाया पंजी (मां.सं.ब. पंजी), अभ्यर्पण पंजी एवं कंप्यूटरीकृत आँकड़ों के नमूना जाँच से पाया कि नमूना जाँच किये गये 20,151 वाहनों में से 2,781 वाहनों के मालिकों ने जून 2009 एवं जून 2015 के बीच की अवधि के लिए कर का भुगतान नहीं किया। इनमें से किसी भी मामले में झा.मो.वा.क. अधिनियम, 2001 की धारा 9 के अंतर्गत वाहन मालिकों के पते में परिवर्तन या धारा 17 के अंतर्गत कर के भुगतान से छूट हेतु दस्तावेजों का अभ्यर्पण अभिलेख में नहीं पाया गया। इस तरह, वे धारा 5 एवं झा.मो.वा.क. नियमावली, 2001 के नियम 4 के तहत कर भुगतान के उत्तरदायी थे। जि.प.प. ने भी झा.मो.वा.क. नियमावली, 2001 के नियम 23 के अनुसार मां.सं.ब. पंजी समय-समय पर अद्यतन नहीं किया, जिस कारण उनके पास प्रमादी वाहन मालिकों की संख्या एवं उनसे वसूल किये जाने वाले करों का विवरण नहीं था। जिला परिवहन पदाधिकारियों ने न तो प्रमादी वाहन मालिकों के विरूद्ध कर एवं अर्थदंड का माँग सृजित किया और न ही सॉफ्टवेयर में माँग पत्रों के स्वत: उत्पन्न होने का प्रावधान था, परिणास्वरूप ` 15.40 करोड़ के अर्थदण्ड सहित ` 23.11 करोड़ के कर का आरोपण नहीं हुआ।

मामले को हमारे द्वारा इंगित किये जाने के बाद (जून 2014 एवं जून 2015 के बीच) छ: जि.प.प.[15] ने सूचित किया (अगस्त 2015) कि प्रमादी वाहन मालिकों के विरुद्ध माँग पत्र निर्गत किये गये और चार जि.प.प.[16] द्वारा 154 मामलों में ` 96.02 लाख की वसूली की गयी। परिवहन सचिव ने जि.प.प. को बड़े प्रमादियों की

[14] बोकारो, धनबाद, गढ़वा, जमशेदपुर, पलामू एवं राँची।

[15] बोकारो, धनबाद, गढ़वा, जमशेदपुर, पलामू एवं राँची।

[16] बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर एवं राँची।

पहचान करने और बकाया करों की वसूली के लिए उनके विरुद्ध गहन अभियान आरंभ करने का निर्देश दिया (अगस्त 2015)। तदंतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।

### 4.3.17 ट्रेलरों से करों का संग्रहण नहीं होना

**प्रमादी ट्रेलर मालिकों से उद्ग्रहणीय ` 3.40 करोड़ का कर एवं अर्थदंड जिला परिवहन पदाधिकारियों द्वारा वसूल नहीं किया गया।**

हमने जून 2014 और जून 2015 के बीच चयनित जिलों में करारोपण पंजी एवं कंप्यूटरीकृत आँकड़ों के नमूना जाँच से पाया कि नमूना जाँच किये गये 5,970 ट्रेलरों में से 2,593 ट्रेलरों के मालिकों ने मार्च 2010 एवं मार्च 2015 के बीच कर का भुगतान नहीं किया। अभिलेख में इनमें से किसी भी मामले में, झा.मो.वा.क. अधिनियम, 2001 की धारा 9 के अंतर्गत वाहन मालिकों के पते में परिवर्तन नहीं पाया गया। इस तरह वे धारा 5 एवं झा.मो.वा.क. नियमावली, 2001 के नियम 4 के अंतर्गत कर एवं अर्थदंड के भुगतान के उत्तरदायी थे। जि.प.प. ने भी झा.मो.वा.क. नियमावली, 2001 के नियम 23 के प्रावधानों के तहत मां.सं.ब. पंजी को समय-समय पर अद्यतन नहीं किया, जिस कारण उनके पास प्रमादी वाहन मालिकों की संख्या एवं उनसे वसूल किये जाने वाले करों का विवरण नहीं था। अधिनियम/नियमावली के प्रावधानों को विभाग द्वारा लागू करने में विफलता के परिणामस्वरुप ` 2.27 करोड़ के अर्थदंड सहित ` 3.40 करोड़ के कर का आरोपण नहीं हुआ। यही नहीं, ये प्रमादी वाहन दुरुस्ती प्रमाणपत्र के बिना सड़क पर चल रहे थे जिससे प्रदूषण मानकों का पालन नहीं हो रहा था।

मामले को हमारे द्वारा इंगित किये जाने के बाद (जून 2014 एवं जून 2015 के बीच) छः जि.प.प.[17] ने सूचित किया (अगस्त 2015) कि प्रमादी वाहन मालिकों के विरुद्ध माँग पत्र निर्गत किये गये हैं और चार जि.प.प.[18] द्वारा 90 मामलों में ` 11.30 लाख की वसूली की गयी है। परिवहन सचिव ने जि.प.प को बड़े प्रमादियों की पहचान करने और बकाया करों की वसूली के लिए गहन अभियान चलाने का निर्देश दिया (अगस्त 2015)। उन्होंने आगे कहा कि 5/10 वर्षों के एकमुश्त कर का प्रस्ताव रखा जाएगा। तदंतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।

**हम अनुशंसा करते हैं कि सरकार प्रमादी वाहनों से राजस्व के संग्रहण के अनुश्रवण हेतु मां.सं.ब. पंजी की आवधिक समीक्षा के लिये एक तंत्र के प्रतिपादन पर विचार कर सकती है।**

[17] बोकारो, धनबाद, गढ़वा, जमशेदपुर, पलामू एवं राँची।

[18] बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर एवं राँची।

### 4.3.18 राष्ट्रीय परमिट के प्राधिकार का नवीनीकरण नहीं होना

**परिवहन वाहनों के राष्ट्रीय अनुज्ञापत्रों की आवधिकता के दौरान अनुवर्ती प्राधिकार का नवीनीकरण नहीं किया गया फलस्वरुप ` 40.95 लाख के समेकित शुल्क एवं प्राधिकार शुल्क की वसूली नहीं हुई।**

हमने अप्रैल 2015 में परिवहन आयुक्त, झारखण्ड के कार्यालय में राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र पंजी की जाँच में पाया कि नमूना जाँच किये गये 1,980 मामलों में से 138 मामलों में अनुज्ञापत्रों की आवधिकता के दौरान अप्रैल 2011 और मार्च 2014 के बीच की अवधि के लिए अनुवर्ती प्राधिकार का नवीनीकरण नहीं किया गया जैसा कि मो.वा. अधिनियम, 1988 की धारा 81 एवं कें.मो.वा. नियमावली, 1989 के नियम 87 में निर्धारित है। प्राधिकार एक सतत प्रक्रिया है जिसे प्रत्येक वर्ष नवीनीकृत किया जाना है जब तक कि अनुज्ञापत्र की अवधि समाप्त न हो गयी हो या अनुज्ञापत्रधारक द्वारा अभ्यर्पित न किया गया हो। इन वाहनों के अनुज्ञापत्रों की वैधता समाप्त हो गयी थी या अनुज्ञापत्रों को अभ्यर्पित कर दिया गया था, अभिलेखों में ऐसा कुछ उल्लिखित नहीं था। हमने यह भी पाया कि परिवहन आयुक्त के कार्यालय में राष्ट्रीय अनुज्ञापत्रों की आवधिकता के दौरान अनुवर्ती प्राधिकार के अनुश्रवण की प्रक्रिया का अभाव था। अग्रेतर, राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र धारक वाहन के मालिक को देश भर में संचालन करने के लिए प्रतिवर्ष समेकित शुल्क के साथ प्राधिकार शुल्क का भुगतान करना है। इसके परिणामस्वरुप ` 40.95 लाख के समेकित शुल्क एवं प्राधिकार शुल्क (समेकित शुल्क ` 38.60 लाख और प्राधिकार शुल्क ` 2.35 लाख) की वसूली नहीं हुई।

मामले को हमारे द्वारा इंगित किये जाने के बाद (अप्रैल 2015) विभाग ने कहा (अप्रैल 2015) कि संबंधित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारियों को बकायों की वसूली हेतु माँग पत्र निर्गत करने के लिए निर्देशित किया गया है। तदंतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।

**सरकार राष्ट्रीय अनुज्ञापत्रों की आवधिकता के दौरान अनुवर्ती प्राधिकार के अनुश्रवण हेतु एक तंत्र के प्रतिपादन पर विचार कर सकती है।**

### 4.3.19 बैंक के साथ लेन-देन में अनियमितता

#### 4.3.19.1 बैंकों द्वारा संग्रहित राजस्व को जमा करने में देरी के कारण ब्याज का उद्ग्रहण नहीं होना।

**संग्राहक बैंकों ने संग्रहित राजस्व के सरकारी खाते में विलंब से स्थानांतरण के लिए ` 7.29 करोड़ का ब्याज क्रेडिट नहीं किया।**

हमने चयनित जिलों में संग्रहित राजस्व के प्रेषणों की बैंक विवरणी का नमूना जाँच किया और जून 2014 एवं जून 2015 के बीच परिवहन आयुक्त कार्यालय, झारखण्ड

सहित आठ जिला परिवहन कार्यालयों[19] में पाया कि संग्राहक बैंकों यथा बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और हजारीबाग सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक ने बिहार वित्तीय नियमावली (झारखण्ड सरकार द्वारा अंगीकृत) के नियम 37 के प्रावधानों तथा परिवहन आयुक्त, झारखण्ड के अनुदेश (जनवरी 2001) के विपरीत वर्ष 2012-13 से 2013-14 के लिए ` 751.26 करोड़ की राशि को निर्धारित समय के अंदर सरकारी खाते में जमा करने हेतु भारतीय स्टेट बैंक, डोरण्डा शाखा, राँची में क्रेडिट नहीं किया और इस प्रकार भारतीय रिजर्व बैंक (भा.रि.बैं.) के निर्देशों के अनुसार ` 7.29 करोड़ के दंडात्मक ब्याज के भुगतान के उत्तरदायी थे। विलंब का दायरा एक महीने से 11 महीने के बीच था। इसने दर्शाया कि विभाग ने संग्राहक बैंकों के साथ ब्याज के भुगतान के मामले का अनुश्रवण नहीं किया एवं प्रभावी रूप से अनुसरण भी नहीं किया।

मामलों को हमारे द्वारा इंगित किये जाने के बाद (जून 2014 एवं जून 2015 के बीच) अवर सचिव तथा जि.प.प. ने कहा (जून 2014 एवं जून 2015 के बीच) कि ब्याज की वसूली हेतु बैंक प्राधिकारियों के साथ पत्राचार किया जायगा। परिवहन सचिव ने जि.प.प. को बैंक द्वारा सरकारी राजस्व के स्थानांतरण पर आवधिक निगाह रखने का निर्देश दिया। तदंतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।

### 4.3.19.2 कालातीत बैंक ड्राफ्ट

**वाहन मालिकों से बैंक ड्राफ्ट द्वारा प्राप्त ` 88.33 लाख की राशि कालातीत हो गया।**

हमने चयनित जिलों में बैंकों द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2013-14 के बैंक विवरणी का समीक्षा किया और अप्रैल 2015 में पाया कि परिवहन आयुक्त, झारखण्ड के कार्यालय में वाहन मालिकों से बैंक ड्राफ्ट द्वारा प्राप्त ` 88.33 लाख कालातीत हो गया। भा.रि.बैं. के दिशा निर्देशानुसार 1 अप्रैल 2012 से चेकों, बैंक ड्राफ्टों, भुगतान आदेशों एवं बैंकर्स चेकों की अवधि की वैधता, जारी की गयी तिथि से छ: माह से घटाकर तीन माह कर दी गयी है। कार्यालय ने सरकारी खाते में वास्तव में जमा की गयी देय राशि का सत्यापन नहीं किया। कालातीत बैंक ड्राफ्टों और उनमें सन्निहित राशियों का पता लगाने के लिए कोई प्रक्रिया नहीं थी क्योंकि बैंक ड्राफ्ट पंजी का संधारण नहीं किया गया था। इस प्रकार, कार्यालय द्वारा आंतरिक नियंत्रण तंत्र के उपयोग में विफलता के परिणामस्वरूप ` 88.33 लाख सरकारी खाते में क्रेडिट नहीं हुआ।

मामले को हमारे द्वारा इंगित किये जाने के बाद (अप्रैल 2015) अवर सचिव ने कहा (अप्रैल 2015) कि आवश्यक कदम उठाये जायेंगे। परिवहन सचिव ने कहा (अगस्त 2015) कि कालातीत बैंक ड्राफ्टों को पुनर्मान्य किया जायगा। तदंतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।

[19] बोकारो, धनबाद, दुमका, गढ़वा, हजारीबाग, लोहरदगा, पाकुड़ एवं राँची।

## 4.3.20 वाहन संबंधी प्रदूषण

**2009-10 से 2013-14 के दौरान निबंधित वाहनों की संख्या में 62.20 प्रतिशत की कुल वृद्धि हुई।**

हमने परिवहन आयुक्त, झारखण्ड से चयनित जिलों के प्राप्त आँकड़ों की जाँच से पाया कि वर्ष 2009-10 से 2013-14 के दौरान निबंधित वाहनों की संख्या में 62.20 प्रतिशत की कुल वृद्धि हुई, जो **तालिका 4.3.20 (i)** में दर्शाया गया है।

**तालिका - 4.3.20 (i)**

| वर्ष | निबंधित वाहनों की संख्या | वर्ष 2008-09 की तुलना में प्रतिशत वृद्धि |
|---|---|---|
| 2008-09 | 1,57,697 | -- |
| 2009-10 | 1,89,050 | 19.88 |
| 2010-11 | 2,30,214 | 45.99 |
| 2011-12 | 2,30,611 | 46.24 |
| 2012-13 | 2,40,599 | 52.57 |
| 2013-14 | 2,55,782 | 62.20 |
| **कुल** | **11,46,256** | |

झा.रा.प्र.नि.बो. झारखण्ड के विभिन्न स्थानों पर हवा में मौजूद वाह्य पदार्थों की सान्द्रता की माप करता है। चार जिलों[20] में राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक (एन.ए.ए.क्यू.एस.) की तुलना में सल्फर डाई-ऑक्साइड ($SO_2$), नाइट्रोजन डाई-ऑक्साइड ($NO_2$), एवं रेस्पिरेबल सस्पेंडेड पार्टीक्यूलेट मैटर (आर.एस.पी.एम.) के घटक **तालिका 4.3.20 (ii)** में दर्शाये गये हैं।

**तालिका 4.3.20 (ii)**

| जिला का नाम | सैम्पलिंग की तिथि | सल्फर डाई-ऑक्साइड ($SO_2$) ($\mu g/m^3$ मे) | नाइट्रोजन डाई-ऑक्साइड ($NO_2$) ($\mu g/m^3$ मे) | आर एस पी एम ($\mu g/m^3$ मे) |
|---|---|---|---|---|
| एन.ए.ए.क्यू.एस. | | 80.00 | 80.00 | 100.00 |
| धनबाद | 27.06.2014 | 13.16 | 32.15 | 218.13 |
| हजारीबाग | 27.03.2014 | 24.00 | 32.25 | 118.46 |
| जमशेदपुर | 29.03.2014 | 49.76 | 58.20 | 170.16 |
| राँची | 27.03.2014 | 19.60 | 31.90 | 217.00 |

स्रोत: झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

आर.एस.पी.एम. की मात्रा एन.ए.ए.क्यू.एस. (100 **$\mu g/m^3$** ) से अधिक है, सल्फर डाई-ऑक्साइड ($SO_2$) एवं नाइट्रोजन डाई-ऑक्साइड ($NO_2$) सीमा के अन्दर हैं। वाहनों की संख्या में वृद्धि आर.एस.पी.एम. के उच्च स्तर के कारणों में एक हो सकता है।

[20] धनबाद, हजारीबाग, जमशेदपुर और राँची।

मामले को हमारे द्वारा इंगित किये जाने के बाद (अप्रैल 2015) विभाग ने कहा कि प्रवर्तन, यातायात एवं परिवहन अधिकारियों को प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर निगाह रखने का निर्देश दिया गया था किन्तु उन्हें वाहनों से उत्सर्जित धुएँ की जाँच के लिए आवश्यक उपकरण प्रदान नहीं किये गये। विभाग ने यह भी स्वीकार किया कि विभाग द्वारा वाहन संबंधी प्रदूषण पर किसी जन जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया गया।

### 4.3.20.1 पुराने वाहनों को चरणबद्ध तरीके से नहीं हटाया जाना

**विभाग के पास वाहन संबंधी प्रदूषण को रोकने हेतु पुराने वाहनों के परिचालन को हतोत्साहित करने की कोई नीति नहीं थी।**

वाहन संबंधी प्रदूषकों की बड़ी मात्रा के उत्सर्जन के लिए पुराने वाहन ज्यादा प्रवृत्त हैं। यह देखा गया कि राज्य में मार्च 2014 तक निबंधित वाहनों की कुल संख्या 34,51,564 थी जिसमें 15 वर्ष से अधिक पुराने 9,09,001 वाहन सम्मिलित थे। कुछ राज्यों जैसे बिहार और दिल्ली ने अतिरिक्त कर (ग्रीन टैक्स) आरोपित कर और नये वाहनों के क्रय पर वित्तीय सहायता और ऋण पर सब्सिडी प्रदान करने के द्वारा पुराने वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए उपाय अपनाये हैं। हमने अवलोकित किया कि विभाग ने वाहन संबंधी प्रदूषण को रोकने के लिए पुराने वाहनों के परिचालन को हतोत्साहित करने हेतु कोई नीति नहीं अपनायी, इसके बजाय अधिनियम पुराने वाहनों पर अतिरिक्त मोटर वाहन कर पर 10 से 30 प्रतिशत की छूट का प्रावधान करता है।

मामले को हमारे द्वारा इंगित किये जाने के बाद (अप्रैल 2015) विभाग ने कहा (अप्रैल 2015) सड़क पर पुराने वाहनो के परिचालन को हतोत्साहित करने हेतु विभाग द्वारा इस तरह की कोई नीति नहीं अपनायी गयी। परिवहन सचिव ने कहा (अगस्त 2015) कि ग्रीन टैक्स के आरोपण के प्रस्ताव की योजना बनायी जा रही थी। तदंतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।

**हम अनुशंसा करते हैं कि सरकार पुराने वाहन के परिचालन को हतोत्साहित करने के लिये नीति अपनाने पर विचार कर सकती है।**

### 4.3.20.2 प्रदूषणकारी वाहनों की सूचना का अभाव

**प्रदूषण प्रमाणपत्रों वाले वाहनों का कोई डाटाबेस नहीं था। परिवहन कार्यालयों में पी.यू.सी. सहित या रहित परिचालित वाहनों की कोई सूचना नहीं थी।**

कें.मो.वा. नियमावली, 1989 के नियम 115(7) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रत्येक निबंधित मोटर वाहन प्रथम निबंधन की तिथि के एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात, राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन हेतु प्राधिकृत एजेंसियों द्वारा निर्गत, एक वैध 'पोल्युशन अंडर कंट्रोल' (पी.यू.सी.) प्रमाण-पत्र साथ रखेगा। प्रमाण-पत्र की वैधता छः माह के लिए होगी। प्रदूषण जाँच केंद्र ` 10,000 के सुरक्षित जमा तथा ` 2000 के

शुल्क (झा.मो.वा.नियमावली, 2001 के नियम 252 डी) के भुगतान पर प्राधिकृत किये जाते हैं। ये केंद्र वाहन के संबंध में निर्धारित शुल्क के भुगतान पर प्रपत्र पी.सी. में 'पोल्यूशन अंडर कंट्रोल (पी.यू.सी.) प्रमाण-पत्र जारी करते हैं यदि नियम 115(2) के अधीन ऐसे वाहन के संबंध में प्रदूषण का स्तर निर्धारित सीमा के अन्दर पाया जाता है।

हमने देखा कि विभाग ने राज्य के 11 जिलों में 39 निजी प्रदूषण जाँच केंद्रों को अधिकृत किया और शेष 13 जिलों में कोई केंद्र नहीं थे। चयनित जिलों में से, मात्र सात जिलों[21] में 30 प्रदूषण जाँच केंद्र प्राधिकृत थे। नियमावली में पी.यू.सी प्रमाण-पत्र के संबंध में प्रतिवेदन/विवरणी को संबंधित परिवहन कार्यालयों में प्रस्तुत करने का प्रावधान नहीं है। अग्रेतर, 24 कार्यरत केंद्रों ने बताया कि वर्ष 2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान 4.42 लाख वाहनों की जाँच की गयी एवं 4.09 लाख पी.यू.सी. निर्गत किये गये। इसी अवधि के दौरान इन जिलों में 8.84 लाख नये वाहन निबंधित हुए। इस प्रकार, परिवहन कार्यालयों के पास पी.यू.सी रहित या सहित परिचालित वाहनों की कोई सूचना नहीं थी।

मामले को हमारे द्वारा इंगित किये जाने के बाद (अक्तूबर 2014 एवं जून 2015 के बीच) जि.प.प. ने कहा (अक्तूबर 2014 एवं जून 2015 के बीच) कि पी.यू.सी प्रमाण-पत्र वाले वाहनों का कोई डाटाबेस नहीं था और इन केंद्रों ने संबंधित परिवहन कार्यालयों को कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया था। परिवहन सचिव ने कहा (अगस्त 2015) कि प्रदूषण केंद्र शुरू करने हेतु विज्ञापन दिये गये थे एवं सी.एन.जी./ एल.पी.जी इंधन प्रारंभ करने की संभावना का पता लगाया जा रहा था। तदंतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।

**हम अनुशंसा करते हैं कि सरकार वाहन सॉफ्टवेयर में पी.यू.सी. प्रमाणपत्र के फील्ड को अनिवार्य बनाने एवं राज्य के सभी जिलों में प्रदूषण जाँच केंद्रों की स्थापना सुनिश्चित करने पर विचार कर सकती है।**

### 4.3.20.3 ट्रैफिक पुलिस का सुदृढ़ीकरण नहीं करना

**अपर्याप्त मानव बल एवं प्रदूषण जाँच उपकरण के अभाव ने ट्रैफिक पुलिस के काम को प्रभावित किया।**

वाहन संबंधी उत्सर्जन मानकों के उल्लंघन करने वालों को दबोचने के लिए ट्रैफिक पुलिस को मानवबल की पर्याप्त संख्या एवं प्रदूषण जाँच उपकरण की आवश्यकता है।

हमने पुलिस उपाधीक्षक (ट्रैफिक), धनबाद और बोकारो द्वारा प्रस्तुत किये गये आँकड़े की जाँच से पाया कि प्रदूषण जाँच उपकरण जैसे स्मोक मीटर, गैस एनालाइज़र, ब्रेथ एनालाइज़र, स्मार्ट कार्ड रीडर इत्यादि उन्हें नहीं दिये गये थे। ट्रैफिक पुलिसकर्मी को प्रदूषण रोधी मास्क उपलब्ध नहीं कराना भी सुरक्षा की दृष्टिकोण से खतरनाक था।

[21] बोकारो, धनबाद, दुमका, हजारीबाग, जमशेदपुर, पलामू एवं राँची।

ट्रैफिक पुलिस में भी कर्मी एकदम अपर्याप्त थे, जैसा कि **तालिका 4.3.20.3** में दर्शाया गया है।

**तालिका 4.3.20.3**

| क्र.सं. | जिला | उप.आ. | | सर्जेंट मेजर | | उ.नि./स.उ.लि. | | जमादार | | हवलदार/ कॉस्टेबल | | ड्राईवर | | कुल | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | स्वी.ब. | का.ब. | स्वी.ब. | का.ब. | स्वी.ब. | का.ब. | स्वी.ब. | का.ब. | स्वी.ब | का.ब. | स्वी.ब. | का.ब. | स्वी.ब. | का.ब. |
| 1 | बोकारो | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | 9 | 6 | 6 | 250 | 85 | 4 | 4 | 274 | 109 |
| 2 | धनबाद | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | 6 | 6 | 0 | 250 | 129 | 4 | 2 | 274 | 141 |
| 3 | राँची | 2 | 2 | - | - | 9 | 7 | - | - | 639 | 259 | 5 | 5 | 655 | 273 |
| **कुल** | | **4** | **4** | **8** | **7** | **27** | **22** | **12** | **6** | **1,139** | **473** | **13** | **11** | **1,203** | **523** |

जैसा कि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि बोकारो, धनबाद एवं राँची में 680 ट्रैफिक पुलिस की कमी थी। चयनित जिलों में से दो जिलों, हजारीबाग एवं जमशेदपुर ने ट्रैफिक पुलिस का स्वीकृत बल उपलब्ध नहीं कराया था।

प्रदूषण जाँच उपकरण की कमी एवं ट्रैफिक पुलिस में अपर्याप्त कार्यरत बल के कारण उत्सर्जन मानकों का पालन न करने वाले वाहनों पर कार्रवाई अप्रभावशील हुआ।

**हम अनुशंसा करते हैं कि सरकार प्रदूषण मानकों के प्रभावशील अनुश्रवण हेतु आवश्यक उपकरणों से लैस पर्याप्त संख्या में ट्रैफिक कर्मी की तैनाती पर विचार कर सकती है।**

## 4.3.21 आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

विभाग को अपने सक्षम तथा मितव्ययी कार्यचालन के लिए कानूनों, नियमों, विभागीय आदेशों का उचित पालन सुनिश्चित कराकर एक प्रभावशील आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का गठन करने की आवश्यकता है। आंतरिक नियंत्रण शीघ्र और प्रभावी निर्णय लेने तथा राजस्व के असंग्रहण/कम संग्रहण एवं क्षरण के विरुद्ध पर्याप्त सुरक्षा के लिए एक विश्वसनीय वित्तीय व संचालन सूचना प्रणाली के निर्माण में भी सहयोग करता है। गठित आंतरिक नियंत्रणों को उनकी प्रभावशीलता बरकरार रखने के लिए समय-समय पर समीक्षा और अद्यतन की जानी चाहिये। आंतरिक नियंत्रण में आंतरिक लेखापरीक्षा, उच्च प्राधिकारियों द्वारा निरीक्षण जाँच तथा निर्धारित पंजियों का संधारण शामिल है।

### 4.3.21.1 परियोजना अनुश्रवण इकाई का गठन नहीं होना

**प.अ.इ. के गठन नहीं होने के कारण विभाग कंप्यूटरीकरण के कार्यों का अनुश्रवण नहीं कर सका।**

झारखण्ड सरकार ने सरकारी राजस्व में वृद्धि, बेहतर नागरिक सेवाएँ उपलब्ध कराने, बेहतर नियंत्रण लागू करने, समय-समय पर सरकारी नीतियों के त्वरित कार्यान्वयन का अनुश्रवण करने और किन्हीं अन्य सरकारी विभागों को, यदि आवश्यक हो तो,

तत्काल सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने के लिए अगस्त 2004 में एन.आई.सी. की राज्य इकाई के साथ सक्रिय सहयोग से वाहन और सारथी अनुप्रयोग को लागू किया। अग्रेतर, विभाग के कंप्यूटरीकरण हेतु अनुमोदित परियोजना प्रस्ताव के अनुसार, उपयुक्त तकनीकी एवं गैर-तकनीकी मानवबल को किराये पर लेकर इस परियोजना के कार्यान्वयन के अनुश्रवण के लिए परिवहन विभाग के अधीन एक परियोजना अनुश्रवण इकाई (प.अ.इ.) का सृजन किया जाना था। एन.आई.सी. जब एवं जैसा आवश्यक हो, तकनीकी सहयोग प्रदान करेगा।

परिवहन आयुक्त के कार्यालय के अभिलेखों के नमूना जाँच के क्रम में, हमने अप्रैल 2015 में पाया कि लेखा परीक्षा की तिथि तक प.अ.इ. सृजित नहीं किया गया था। यह भी पाया गया (नवम्बर 2014 एवं जून 2015 के बीच) कि विद्यमान सॉफ्ट्वेयर में निम्नांकित त्रुटियाँ थीं :

- सॉफ्टवेयर द्वारा उत्पन्न प्रमादी की सूची विश्वसनीय नहीं थी क्योंकि वर्तमान कर भुगतान की स्थिति नहीं निकाली जा सकती थी;
- निबंधित वाहनों की डीलरवार गिनती उत्पन्न नहीं होती थी;
- सिस्टम निबंधन प्रमाण-पत्र के नवीनीकरण के समय कर स्थिति की गलत वैधता दर्शाती थी; और
- माँग पत्रों के स्वत: उत्पन्न होने की सुविधा उपलब्ध नहीं थी।

समय पर प.अ.इ. के सृजन से सॉफ्टवेयर में उपरोक्त खामियाँ कम हो जातीं।
मामले को हमारे द्वारा इंगित किये जाने के बाद (जून 2015) विभाग ने कहा (जून 2015) कि प.अ.इ. का गठन प्रक्रियाधीन था। परिवहन सचिव ने कहा (अगस्त 2015) कि प.अ.इ. की स्थापना एन.आई.सी., झारखण्ड के विमर्श से की जा रही है और छ: माह में यह क्रियाशील हो जाएगी। तदंतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।

### 4.3.21.2 आंतरिक लेखापरीक्षा

**वित्त विभाग ने 2009-10 से 2013-14 के दौरान छ: परिवहन कार्यालयों की लेखा परीक्षा सम्पादित की।**

आंतरिक लेखापरीक्षा सामान्यत: सभी नियंत्रणों के नियंत्रण के रुप में परिभाषित किया जाता है क्योंकि यह एक संगठन के लिए स्वयं को यह सुनिश्चित करने का एक माध्यम है कि निर्धारित प्रणालियाँ यथोचित रूप से काम कर रही थी।

जैसा कि परिवहन विभाग ने हमें सूचित किया, उसकी अपनी कोई आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा नहीं है। तथापि, वित्त विभाग आंतरिक लेखापरीक्षक के रुप में कार्य कर रहा है। आंतरिक लेखापरीक्षा दलों को सभी लेखा अभिलेखों की शत-प्रतिशत लेखापरीक्षा करने की आवश्यकता है। हमने चयनित जिलों से 2009-10 से 2013-14 के दौरान संचालित आंतरिक लेखापरीक्षा सम्बन्धी सूचनाओं की माँग की। सूचना के आधार पर, यह पाया गया कि वित्त विभाग ने 2009-10 एवं 2013-14 के बीच की

अवधियों हेतु पाँच परिवहन कार्यालयों में विभिन्न वित्तीय वर्षों के लिए लेखापरीक्षा संचालित नहीं की, विवरण **तालिका 4.3.21.2** में है।

**तालिका 4.3.21.2**

| क्र.सं. | कार्यालय का नाम | वित्त विभाग द्वारा की जाने वाली लेखा परीक्षा हेतु देय अवधि | अवधि जिसकी लेखापरीक्षा वित्त विभाग द्वारा की गयी |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | जि.प.प., बोकारो | 2009-10 से 2013-14 | शून्य |
| 2 | जि.प.प., धनबाद | 2009-10 से 2013-14 | 2009-10 एवं 2010-11 |
| 3 | जि.प.प., दुमका | 2009-10 से 2013-14 | शून्य |
| 4 | जि.प.प., गढ़वा | 2009-10 से 2013-14 | शून्य |
| 5 | जि.प.प., गोड्डा | 2009-10 से 2013-14 | 2009-10 |
| 6 | जि.प.प., हजारीबाग | 2009-10 से 2013-14 | शून्य |
| 7 | जि.प.प., जमशेदपुर | 2009-10 से 2013-14 | 2009-10 |
| 8 | जि.प.प., लोहरदगा | 2009-10 से 2013-14 | 2009-10 |
| 9 | जि.प.प., पाकुड़ | 2009-10 से 2013-14 | 2009-10 एवं 2010-11 |
| 10 | जि.प.प., पलामू | 2009-10 से 2013-14 | 2009-10 |
| 11 | जि.प.प., राँची | 2009-10 से 2013-14 | शून्य |

आंतरिक लेखापरीक्षा का प्रतिवेदन हमें उपलब्ध नहीं कराया गया। आंतरिक लेखापरीक्षा निरीक्षणों की अपर्याप्त संख्या के परिणामस्वरूप सिस्टम में त्रुटिपूर्ण कार्य क्षेत्रों से विभाग अनभिज्ञ रहा और इसलिए उपचारात्मक कार्रवाई करने में असमर्थ रहा।

परिवहन सचिव ने स्वीकार किया (2015 अगस्त) कि वित्त विभाग के लेखापरीक्षक आंतरिक लेखापरीक्षा संचालित करते हैं तथा विभाग का कोई पृथक आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध नहीं है।

### 4.3.21.3 विभागीय अधिकारियों द्वारा निरीक्षण

**विभागीय प्राधिकारियों द्वारा क्षेत्रीय कार्यालयों के निरीक्षण का कोई निश्चित मापदंड नहीं था।**

उच्च विभागीय प्राधिकारियों द्वारा अधीनस्थ कार्यालयों का निरीक्षण कार्यालयों के उचित कार्यचालन सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण साधन है।

चयनित कार्यालयों द्वारा प्रस्तुत की गयी सूचनाओं से यह पता चला कि वर्ष 2009-10 से 2013-14 के दौरान उच्च विभागीय प्राधिकारियों द्वारा इन कार्यालयों का निरीक्षण संचालित नहीं किया गया। जिला कार्यालयों के निरीक्षण सम्बन्धी हमारी पृच्छा पर, विभाग ने जून 2015 में कहा कि विभागीय प्राधिकारियों द्वारा क्षेत्रीय कार्यालयों के निरीक्षण का कोई निश्चित मापदंड नहीं था।

### 4.3.21.4 पंजियों का संधारण नहीं किया जाना

***माँग संग्रहण एवं बकाया पंजी***

झा.मो.वा.क. नियमावली, 2001 के नियम 23 के प्रावधानों के अंतर्गत, करारोपण अधिकारियों द्वारा प्रपत्र 'एम' में एक कर पंजी और प्रपत्र 'एन' में एक माँग पंजी का संधारण किया जायेगा। प्रत्येक वाहन के लिए अलग पृष्ठ चिन्हित होगा। कर प्रमादी वाहनों पर नजर रखने तथा वाहन मालिकों के विरूद्ध माँग पत्र निर्गत करने के लिए माँग पंजी प्रत्येक वर्ष 1 अक्टूबर एवं 31 मार्च को अद्यतन किया जाएगा। अग्रेतर, लेखापरीक्षा अवलोकन के आलोक में विभाग ने मार्च 2000 एवं अगस्त 2005 में क्षेत्रीय कार्यालयों को माँग संग्रहण एवं बकाया पंजियों को संधारण तथा अद्यतन करने का सख्त निर्देश दिया था।

हमने नवंबर 2014 और जून 2015 के बीच चयनित जिलों के अभिलेखों की जाँच से पाया कि कार्यालयों द्वारा करारोपण पंजी एवं माँग पंजी संधारित/अद्यतन नहीं किया जा रहा था।

परिवहन सचिव ने बहिर्गमन सम्मेलन (अगस्त 2015) में कहा कि आँकड़े सिस्टम में संगृहीत किये जाते हैं। तथापि, प्राधिकारी प्रमादी वाहनों पर नजर नहीं रख सके एवं त्वरित रुप से माँग पत्रों को निर्गत करने में विफल रहे जैसा कि कंडिका **4.3.16** और **4.3.17** में वर्णित है।

***द्विपक्षीय समझौता पंजी***

उड़ीसा के साथ आपसी सहमति (जनवरी 2003) एवं पश्चिम बंगाल (जनवरी 2003) तथा बिहार (अप्रैल 2007) राज्य के साथ हुए द्विपक्षीय समझौतों के अनुसार, लोक सेवा वाहनों के लिए द्विबिन्दु कराधान प्रणाली अपनायी गयी। इस प्रणाली के अंतर्गत अन्य राज्यों में परिचालित होने वाले सभी वाहन राज्य में आरोप्य सभी करों के भुगतान के उत्तरदायी होंगे। परस्पर अंतर्राज्यीय समझौते की शर्तों के अनुसार, अनुज्ञा-पत्र जारी करने वाला प्राधिकारी संतुष्ट होने के बाद कि अद्यतन कर का भुगतान किया जा चुका है, अनुज्ञा-पत्र जारी तथा प्रतिहस्ताक्षर करेगा। झारखण्ड में मोटर वाहन कर झा.मो.वा.क. अधिनियम, 2001 की धारा 5 के प्रावधानों एवं उसके अधीन बनाये गये नियमावलियों के तहत आरोपित किया जाता है।

हमने परिवहन आयुक्त के कार्यालय में द्विपक्षीय समझौतों के अंतर्गत परिचालित वाहनों से संबंधित अभिलेखों की जाँच से अप्रैल 2015 में पाया कि करों के भुगतान पर नजर रखने के लिए कराधान पंजी का संधारण नहीं किया गया। पथकर एवं अतिरिक्त पथकर वाहनों की बैठान क्षमता तथा मॉडल पर आधारित होता है पर ऐसा कोई विवरण अनुज्ञा पत्र पंजी में अभिलेखित नहीं किया गया। पंजियों के उचित संधारण के अभाव में, प्रमादी वाहनों से देय कर के संबंध में कार्यालय में सूचना उपलब्ध नहीं थी। इस प्रकार, कार्यालय प्रमादी वाहनों के परिचालन को रोकने के लिए आवश्यक नियंत्रणों के उपयोग में विफल रहा।

मामले को हमारे द्वारा इंगित किये जाने के बाद (अप्रैल 2015), विभाग ने कहा कि इस संबंध में आवश्यक कदम उठाए जायेंगे। तदंतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।

### 4.3.22 सेवा कर का उपयुक्त शीर्ष में जमा नहीं किया जाना

**दुरुस्ती प्रमाणपत्र निर्गमन/नवीनीकरण शुल्क के साथ संग्रहित ` 3.07 करोड़ की सेवा कर की राशि '0044-सेवा-कर' के बजाय '0041-वाहनों पर कर' शीर्ष में जमा किया गया।**

हमने नवंबर 2014 एवं जून 2015 के बीच चयनित जिला परिवहन कार्यालयों में मोटर वाहन निरीक्षकों द्वारा संधारित दुरुस्ती प्रमाण-पत्र पंजी का नमूना जाँच किया और पाया कि वर्ष 2009-10 से 2013-14 के दौरान वाहनों के दुरुस्ती के मद में उद्गृहीत राजस्व ` 3.07 करोड़ के सेवाकर और उपकर सहित ` 27.67 करोड़ था।

परिवहन आयुक्त, झारखण्ड, राँची के कार्यपालक निर्देश सं. 125/06-1434 दिनांक 02.12.2006 तथा सं. 125/2006-385 तथा 29.05.2007 के साथ पठित सेवा-कर नियमावली के प्रावधानों के अंतर्गत, दुरुस्ती प्रमाण-पत्र निर्गत करते समय 12 प्रतिशत की दर से सेवा कर और सेवा कर पर 2 प्रतिशत की दर से शिक्षा उपकर आरोप्य था। मोटर वाहन निरीक्षकों को सेवा कर निबंधन संख्या खोलने और संग्रहित सेवाकर की राशि को शीर्ष '0044-सेवा कर' शीर्षांतर्गत जमा करने का निर्देश दिया गया। तथापि, सेवा कर के रुप में संगृहीत राशि को शीर्ष '0044-सेवा कर' के बजाय शीर्ष '0041-वाहनों पर कर' में जमा किया गया, जो अनियमित था। हमने यह भी पाया कि सेवा कर की राशि 12.36 प्रतिशत की दर के बजाय 12.50 प्रतिशत की दर से आरोपित किया गया।

सदृश मामला 31 मार्च 2011 को समाप्त हुए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) की कंडिका 4.8.9.14 में इंगित किया गया था, सरकार ने एन.आई.सी. को टेबल संरचना में परिवर्तन करने का निर्देश दिया (नवम्बर 2011) ताकि सेवा कर की पृथक गणना और उचित शीर्ष में स्थानांतरण हो सके। तथापि, कमियों की प्रकृति अब तक मौजूद है, जो विभाग की कमजोर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को इंगित करता है।

### 4.3.23 स्मार्ट कार्ड

#### 4.3.23.1 स्मार्ट कार्ड हेतु अनुबंध का नवीनीकरण नहीं होना

**विभाग ने स्मार्ट कार्ड में ड्राईविंग लाईसेंस एवं निबंधन प्रमाणपत्र निर्गत करने के अनुबंध का न तो नवीनीकरण किया/न निविदा आमंत्रित किया और न ही वर्तमान वेंडर के कार्य को रोका।**

परिवहन विभाग ने स्मार्ट कार्ड आधारित निबंधन प्रमाणपत्र निर्गमन हेतु मेसर्स वेंकटेश उद्योग और मेसर्स ए.के.एस. स्मार्ट कार्ड सिस्टम्स लिमिटेड के साथ 16

सितंबर, 2004 के साथ समझौते के द्वारा वाहन व सारथी अनुप्रयोग सॉफ्ट्वेयर के अंधीन कंप्यूटरीकृत प्रणाली को आंशिक रूप से आउटसोर्स किया। इस अनुबंध की अवधि कार्डों के प्रथम निर्गमन की तिथि से पाँच वर्षों की थी। परियोजना को राज्य के 18 जिलों में कार्य लिए जाने के 16 सप्ताह के अंदर पूरा करना था। अनुबंध की शर्तों के अनुसार अनुबंध की अवधि हर कार्यालय के लिए भिन्न था। बाद में, 26 जुलाई 2006 को एजेंसी का नाम बदलकर मेसर्स एमिटी इंफो सिस्टम्स लिमिटेड कर दिया गया।

परिवहन आयुक्त के कार्यालय में हमने समझौता संचिका की समीक्षा की और देखा कि वेंडर के साथ की गयी अनुबंध की अवधि सितंबर और दिसंबर 2009 के बीच समाप्त हो गयी थी पर पाँच वर्षों के बीत जाने के बाद भी अनुबंध के बगैर नवीनीकरण के वेंडर ने आवंटित कार्य करना जारी रखा। वेंडर द्वारा अनधिकृत रुप से निरंतर कार्य किये जाने पर विभाग द्वारा न तो आपत्ति की गयी और न ही अनुबंध को नवीनीकृत करने या नयी निविदा आमंत्रित करने के लिए कोई कार्रवाई की गयी। ऐसा अनधिकृत कार्य राजस्व के हानि की संभावना के जोखिम और महत्वपूर्ण आँकडों के दुरुपयोग से परिपूर्ण होता है, साथ-साथ वैधानिक जटिलताओं की ओर जाने की संभावना रहती है।

मामले को हमारे द्वारा इंगित किये जाने के बाद (अप्रैल 2015) विभाग ने कहा कि पुनर्निविदा की कार्रवाई की जा रही थी। परिवहन सचिव ने कहा (अगस्त 2015) कि ई-टेंडरिंग की प्रक्रिया दिसंबर 2015 तक पूरी कर ली जाएगी। तदंतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।

### 4.3.23.2 स्मार्ट कार्ड में निबंधन प्रमाण-पत्र का निर्गत नहीं किया जाना

**स्मार्ट कार्ड आधारित निबंधन प्रमाण-पत्र निर्गमन नहीं किये जाने के कारण सरकार ` 9.43 लाख की राशि के राजस्व से वंचित हुई।**

हमने चयनित जिलों में निबंधन पंजी का नमूना जाँच किया और जिला परिवहन कार्यालय, पाकुड़ में पाया (जनवरी 2015), कि वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 की अवधि के दौरान 4,714 निबंधन प्रमाणपत्र स्मार्ट कार्ड में जारी नहीं किये गये यद्यपि कार्यालय में वाहन पैकेज अधिष्ठापित था, इससे प्रयोजन, जिसके लिए सॉफ्टवेयर अधिष्ठापित किया गया था, निष्फल रहा। इस प्रकार, स्मार्ट कार्ड आधारित निबंधन प्रमाणपत्र निर्गमन के सरकार के कार्यान्वयन में खामियों ने सरकार को ` 9.43 लाख के राजस्व से वंचित किया जो के.मो.वा. नियमावली, 1989 के नियम 81 के अंतर्गत आरोप्य था।

मामले को हमारे द्वारा इंगित किये जाने के बाद (जनवरी 2015), पर जि.प.प. ने कहा (फरवरी 2015) कि मामले को विभाग को संदर्भित किया जाएगा। परिवहन सचिव ने कहा (अगस्त 2015) कि सभी जिलों को आच्छादित करते हुए दिसंबर

2015 तक ई-टेंडरिंग की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। तदंतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।

### 4.3.24 वाहनों का दुरूस्ती प्रमाणपत्र

मो.वा.अधिनियम, 1988 की धारा 56 के प्रावधान के अंतर्गत, एक परिवहन वाहन तब तक वैध रूप से निबंधित नहीं माना जाएगा जब तक उसके पास अधिकृत प्राधिकारी द्वारा या अधिकृत जाँच केंद्र द्वारा निर्गत दुरुस्ती प्रमाणपत्र न हो। झारखण्ड मोटर वाहन नियमावली, 2001 के नियम 259 के अंतर्गत, मोटर वाहन निरीक्षक आवश्यक जाँच के उपरांत परिवहन वाहनों को इस आशय का दुरुस्ती प्रमाणपत्र निर्गत करने के लिए प्राधिकृत हैं कि वाहन उस समय मोटर वाहन अधिनियम और उसके अधीन बनायी गयी नियमावली की सभी जरूरतों को पूरा करता था। अग्रेतर, के.मो.वा. नियमावली, 1989 का नियम 63 अनुबंध करता है कि ` एक लाख के सुरक्षित जमा पर राज्य सरकार द्वारा जाँच केंद्र एक परिवहन वाहन को ` 5,000 के प्राधिकार पत्र के ग्रांट/नवीनीकरण शुल्क के भुगतान पर दुरुस्ती प्रमाणपत्र निर्गत/नवीनीकृत करने के लिए परिचालित करने हेतु प्राधिकृत किये जाते हैं (के.मो.वा. नियमावली, 1989 का नियम 81)। प्राधिकार पत्र प्रदान/नवीनीकरण किये जाने के आवेदन पर विचार करते समय निबंधन प्राधिकारी स्टाफ की न्यूनतम योग्यता, जाँच केंद्र के परिसर, निरीक्षण लेन, परीक्षण उपकरणों एवं लेनों की जाँच करेंगे।

#### 4.3.24.1 मोटर वाहन निरीक्षकों को वाहनों के निरीक्षण हेतु आवश्यक उपस्कर उपलब्ध नहीं कराए गए।

हमने परिवहन आयुक्त कार्यालय में देखा (जून 2015) कि मोटर वाहन निरीक्षकों को दुरुस्ती प्रमाणपत्र निर्गत करने के लिए आवश्यक उपस्कर और वाहनों के निरीक्षण हेतु परिसर उपलब्ध नहीं कराये गये थे। आधारभूत संरचना के अभाव में दुरुस्ती प्रमाणपत्र का निर्गमन निर्धारित मानदंड के अनुरूप नहीं भी हो सकता है।

#### 4.3.24.2 प्राधिकृत जाँच केंद्र का प्राधिकार पत्र नवीनीकृत किया गया हालाकि अपेक्षित उपस्कर निर्धारित मापदंडों का अनुपालन नहीं करते थे।

हमने अप्रैल 2015 में परिवहन आयुक्त के कार्यालय में छः प्राधिकृत जाँच केंद्रों के संचिकाओं की जाँच के दौरान पाया कि जि.प.प., राँची एवं मो.वा.नि., राँची ने संयुक्त रूप से अप्रैल 2011 तथा जुलाई 2013 में जाँच केंद्रों में से एक की जाँच की तथा प्रतिवेदित किया कि अपेक्षित उपस्कर निर्धारित मापदंडों के अनुरूप नहीं थे। तथापि, निरीक्षण प्रतिवेदन को स्थगित रखते हुए विभाग द्वारा जुलाई 2013 में इस केंद्र का प्राधिकार पत्र मई 2018 तक की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया।

मामले को हमारे द्वारा इंगित किये जाने के बाद (अप्रैल 2015), पर विभाग ने कहा (अप्रैल 2015) कि जाँच के उपरांत कार्रवाई की जाएगी। तदंतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।

### 4.3.24.3 निजी अधिकृत जाँच केंद्रों द्वारा दुरूस्ती प्रमाणपत्र के निर्गमन के लिये आरोपित प्रभारों पर सरकार के हिस्सेदारी हेतु कोई प्रावधान नहीं था

हमने नवंबर 2014 और जून 2015 के बीच देखा कि चार जिलों[22] में सात प्राधिकृत जाँच केंद्र कार्यरत थे। 2009-10 और 2013-14 की अवधि के दौरान, इन केंद्रों ने परिवहन वाहनों को 38,701 दुरुस्ती प्रमाणपत्र निर्गत किया जिसके लिए ` 1.46 करोड़ प्रभारित किया। इस संग्रह में सरकार की हिस्सेदारी का कोई प्रावधान नहीं था। एजेंसी ने ` 5,000 शुल्क के भुगतान पर 5 वर्षों के लिए प्राधिकार पत्र प्राप्त किया और ` 1.46 करोड़ का व्यवसाय किया।

मामले को हमारे द्वारा इंगित किये जाने के बाद (नवंबर 2014 एवं जून 2015 के बीच) विभाग ने कहा (फरवरी 2015) कि दुरुस्ती शुल्क पर अधिभार आरोपित किया जा सके इस संबंध में मामले को देखा जाएगा। परिवहन सचिव ने स्वीकार किया (अगस्त 2015) कि मो.वा.नि. द्वारा पर्याप्त उपकरणों के बिना ही वाहनों को दुरुस्ती प्रमाणपत्र निर्गत किया जा रहा था। निजी जाँच केंद्रों द्वारा संगृहीत दुरूस्ती शुल्क पर अधिभार आरोपित किये जाने के संबंध में, यह कहा गया कि कानूनी पहलुओं का पता लगाया जाएगा। तदंतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।

## 4.3.25 विभागीय मुद्रा रसीदों का उपयोग न किया जाना

**यातायात पुलिस, राँची मो.वा.अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन पर दोषों के निपटारे के लिये विभागीय मुद्रा रसीद का उपयोग नहीं कर रही थी।**

परिवहन विभाग ने अपने अधिसूचना सं. 953, दिनांक 14.9.2009 द्वारा, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत झारखण्ड के 6 शहरों[23] में यातायात पुलिस जो उपनिरीक्षक के श्रेणी से निम्न न हो, को दोषों के निपटारे का अधिकार प्रदान किया। अधिसूचना ने यातायात पुलिस अधिकारियों को परिवहन विभाग, झारखण्ड, राँची से मुद्रा रसीद, ज़ब्ती रसीद आदि प्राप्त करने और अधिरोपित दंड एवं अर्थदण्ड की राशि को भारतीय स्टेट बैंक, डोरंडा, राँची शाखा के सरकारी खाते में जमा करने का निर्देश दिया।

हमने अप्रैल 2015 में परिवहन आयुक्त, झारखण्ड के कार्यालय के अभिलेखों की जाँच में पाया कि यातायात पुलिस, राँची दोषों के निपटारे के लिए विभागीय मुद्रा रसीद का उपयोग नहीं कर रही थी इसके बजाय उन्होंने अलग मुद्रा रसीद छपवाया। हालाँकि, यह मामला अनुपालन लेखापरीक्षा में पूर्व में इंगित किया गया था, तब भी इसका प्रचलन जारी रहा। इसने यातायात पुलिस, राँची द्वारा राजस्व के संग्रहण और जमा किये जाने पर विभाग के नियंत्रण में कमी को दर्शाया। तथापि, 2005 से 2013 के दौरान संग्रहण से संबंधित ` 4.15 करोड़ की राशि सरकारी खाते में 2010 और 2013 की अवधि के दौरान पाँच वर्ष तक विलंब के उपरांत जमा किया गया।

---

[22] धनबाद, जमशेदपुर, लोहरदगा एवं राँची।

[23] बोकारो, देवघर, धनबाद, जमशेदपुर, हजारीबाग एवं राँची।

मामले को हमारे द्वारा इंगित किये जाने के बाद (अप्रैल 2015) विभाग ने कहा कि पुलिस अधीक्षक, यातायात, राँची से इस संबंध में पत्राचार किया जाएगा। परिवहन सचिव ने कहा (अगस्त 2015) कि यातायात पुलिस, राँची को विभागीय मुद्रा रसीदों का उपयोग करने के निर्देश दिये गये थे। तदंतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।

### 4.3.26 मानव संसाधन प्रबंधन

किसी संगठन/विभाग के कुशल एवं प्रभावी कार्यचालन हेतु मानव संसाधन बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें पर्याप्त मानव-बल और प्रचलित परिस्थिति/काम के वातावरण में कार्य करने के लिए समुचित प्रशिक्षण योग्यता/सम्मिलित है।

चयनित जिलों के जिला परिवहन कार्यालयों द्वारा प्रस्तुत स्वीकृत बल और कार्यरत बल **तालिका 4.3.26** में है।

**तालिका 4.3.26**

| पद | स्वीकृत बल | कार्यरत बल | कमी ( प्रतिशत में) |
|---|---|---|---|
| जिला परिवहन पदाधिकारी | 11 | 11 | 0 |
| मोटर वाहन निरीक्षक | 24 | 06 | 75.00 |
| लिपिक | 63 | 43 | 31.75 |
| कंप्यूटर ऑपरेटर | -- | 42 | -- |
| अन्य | 23 | 17 | 26.09 |

उपरोक्त तालिका से हमने देखा कि जिला परिवहन कार्यालयों में सहायक कर्मियों की अत्यधिक कमी थी। इन कार्यालयों में 43 लिपिक कार्यरत थे जिसमें से 23 अन्य विभागों से प्रतिनियुक्ति पर थे।

#### 4.3.26.1 विभागीय अधिकारियों के लिये पृथक संवर्ग न होना

जिला परिवहन कार्यालय मुख्यत: कानूनों, नियमावलियों, विभागीय निर्देशों के प्रवर्तन और शासकीय देय के आरोपण/संग्रहण हेतु उत्तरदायी हैं, पर विभागीय अधिकारियों के लिए कोई पृथक संवर्ग नहीं था। परिवहन अधिकारियों का काम करने के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के अधिकारियों को तैनात किया गया था। विभागीय संवर्ग के गठन नहीं होने से अधिनियम/ नियमावलियों के प्रावधानों के प्रशासन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा होगा और फलस्वरूप सरकारी राजस्व की हानि हुई होगी।

#### 4.3.26.2 मोटर वाहन निरीक्षकों की अत्यधिक कमी

मोटर वाहन निरीक्षक (मो.वा.नि.) सड़क परिवहन संबंधी सभी तकनीकी मामलों में जिला परिवहन पदाधिकारियों का सहयोग करते हैं। वे वाहनों के दुरूस्ती की जाँच और दुरुस्ती प्रमाणपत्र प्रदान/नवीनीकरण करने के लिए उत्तरदायी हैं। हमने पाया कि 24 स्वीकृत बल के विरुद्ध मात्र छ: मोटर वाहन निरीक्षक थे। प्रत्येक मोटर वाहन निरीक्षक दो से अधिक जिलों में अपना कर्तव्य निष्पादित कर रहे थे। इस संवर्ग में

कमी के फलस्वरूप कार्यभार आवश्यकता से अधिक हो गया जिसने उनके कार्यक्षमता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया। इस संबंध में मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार ने विभाग को नियमित नियुक्ति न होने तक मो.वा.नि. के रिक्त पद को प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरने का निर्देश दिया (जनवरी 2014)। तथापि, इस संवर्ग में कमी विद्यमान है (अक्टूबर 2015)।

### 4.3.26.3 संविदात्मक आधार पर कार्य किया जाना

झारखण्ड सरकार ने परिवहन विभाग के सभी कार्यकलापों को कंप्यूटरीकृत करने के लिए समन्वित प्रयास की दिशा में अगस्त 2004 में 'वाहन' एवं 'सारथी' अनुप्रयोग को लागू किया। कार्यान्वयन योजना के अनुसार, एन.आई.सी. द्वारा जिला परिवहन कार्यालय के कर्मी/अधिकारी को अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर पर प्रशिक्षण दिया जाना था। तथापि, कर्मियों को सॉफ्टवेयर की भली-भाँति जानकारी के लिए कोई प्रशिक्षण सूची नहीं बनाई गई। इस प्रकार, 10 वर्ष से अधिक बीत जाने के बाद भी, विभाग के महत्वहपूर्ण कार्य संविदात्मक आधार पर या दैनिक मजदूरी आधार पर रखे गये व्यक्तियों द्वारा किया गया, जिससे गंभीर अनियमितताएँ हो सकती थीं।

**हम अनुशंसा करते हैं कि सरकार आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा की स्थापना करने तथा विभागीय प्राधिकारियों द्वारा क्षेत्रीय कार्यालयों के निरीक्षण हेतु प्रावधानों के प्रतिपादन पर विचार कर सकती है। विभाग को परिवहन कर्मियों का अपना संवर्ग बनाकर, समुचित प्रशिक्षण आयोजन कर और पर्याप्त आधारभूत संरचना एवं उपस्कर उपलब्ध कराकर मानव संसाधनों को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।**

### 4.3.27 निष्कर्ष

निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान हमने निम्न अवलोकित किया :

- प्रमादी परिवहन तथा वैयक्तिक वाहनों पर कर का आरोपण एवं उद्ग्रहण नहीं होना, प्रमादी राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र धारी, निबंधन का नवीनीकरण नहीं किया जाना, स्थानीय निबंधन चिन्ह आवंटित नहीं किया जाना और निबंधन प्रमाणपत्र का स्मार्ट कार्ड में निर्गत नहीं किया जाना;
- लोक सेवा वाहनों का वर्गीकरण नहीं किया जाना, पुराने वाहनों को क्रमिक रूप से हटाने, ग्रीन टैक्स के आरोपण, वाहन संबंधी प्रदूषण रोकने हेतु प्रदूषण जागरूकता अभियान इत्यादि के लिए नीतियाँ नहीं बनाया जाना। दुरुस्ती का प्रमाणपत्र निर्गत करने हेतु वाहनों के निरीक्षण के लिए आवश्यक उपस्कर एवं परिसर मोटर वाहन निरीक्षकों को उपलब्ध नहीं कराया गया; और
- विभाग में अपना कोई आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध नहीं है, यह वित्त विभाग द्वारा किया जाता है, अपर्याप्त आंतरिक लेखापरीक्षा के कारण सिस्टम में त्रुटिपूर्ण कार्य क्षेत्रों से विभाग अनभिज्ञ रहा। अपर्याप्त कार्यरत बल, उचित

प्रशिक्षण का अभाव और विभागीय संवर्ग का गठन नहीं किये जाने से अधिनियम/नियमावली के प्रावधानों को लागू करना प्रभावित हुआ।

## 4.4 अधिनियमों/नियमावलियों के प्रावधानों का अनुपालन/पालन नहीं होना

*झारखण्ड मोटर वाहन करारोपण (झा.मो.वा.क.) अधिनियम, 2001 मोटर वाहन अधिनियम, 1988 बिहार वित्तीय नियमावली (झारखण्ड सरकार द्वारा यथा अंगीकृत) और उसके अधीन बनाये गये नियमों में प्रावधान है:*

*(i) वाहन मालिकों द्वारा विनिर्दिष्ट दर पर मोटर वाहन कर का भुगतान;*

*(ii) संगृहीत राजस्व को सरकारी खाते में ससमय जमा करना;*

*(iii) विनिर्दिष्ट दर से निबंधन शुल्क का भुगतान;*

*(iv) राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र के प्राधिकार का निर्गमन एवं नवीनीकरण; और*

*(v) ड्राइविंग लाइसेंस का निर्गमन एवं नवीनीकरण।*

*हमने पाया कि परिवहन विभाग ने अनुवर्ती कंडिकाओं में उल्लिखित मामलों में अधिनियमों/नियमावलियों के प्रावधानों का पालन नहीं किया।*

## 4.5 परिवहन वाहनों से करों का संग्रहण नहीं होना

**प्रमादी वाहन मालिकों से उद्ग्रहनीय ` 5.49 करोड़ के कर एवं अर्थदंड की वसूली नहीं की गयी।**

**4.5.1** हमने जुलाई 2014 और मार्च 2015 के बीच सात जिला परिवहन कार्यालयों[24] में करारोपण पंजी, मां.सं.ब. पंजियों, अभ्यर्पण पंजियों एवं कंप्यूटरीकृत आँकड़ों के नमूना जाँच में पाया कि नमूना जाँच किये गये 12,151 वाहनों में से 648 वाहनों के मालिकों ने दिसंबर 2010 एवं मार्च 2015 के बीच कर का भुगतान नहीं किया। इनमें से किसी भी मामले में झा.मो.वा.क. अधिनियम, 2001 की धारा 17 के अंतर्गत वाहन मालिकों के पते में परिवर्तन या कर के भुगतान से छूट प्राप्ति हेतु दस्तावेजों का अभ्यर्पण अभिलेख में नहीं पाया गया। इस प्रकार, झा.मो.वा.क. नियमावली, 2001 के धारा 5 एवं नियम 4 के अंतर्गत वे कर भुगतान के उत्तरदायी थे। झा.मो.वा.क. नियमावली, 2001 के नियम 23 के अनुसार जि.प.प. ने भी मां.सं.ब. पंजी को आवधिक रूप से अद्यतन नहीं किया, इसलिए उनके पास प्रमादी वाहन मालिकों की संख्या एवं उनसे उद्गृहीत किये जाने वाले करों का विवरण नहीं था। जिला परिवहन पदाधिकारियों ने प्रमादी वाहन मालिकों के विरूद्ध कर एवं अर्थदंड का माँग सृजित नहीं किया जिसके परिणास्वरूप ` 2.62 करोड़ के अर्थदंड सहित ` 3.92 करोड़ कर का आरोपण नहीं हुआ।

मामले को हमारे द्वारा इंगित किये जाने के बाद (जुलाई 2014 एवं मार्च 2015 के बीच) जि.प.प., कोडरमा ने सूचित किया (अगस्त 2015) कि प्रमादी वाहन मालिकों के विरुद्ध मांग पत्र निर्गत किये गये थे और 10 मामलों में ` 5.64 लाख की वसूली की गयी थी। परिवहन सचिव ने जि.प.प. को कि बड़े प्रमादियों की पहचान करने और

[24] चाईबासा, देवघर, गिरिडीह, जामताड़ा, कोडरमा, साहिबगंज और सरायकेला-खरसावाँ।

उनके विरुद्ध बकाये कर के उद्ग्रहण हेतु एक गहन अभियान चलाने का निर्देश दिया (अगस्त 2015)। तदंतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।

**4.5.2** हमने जुलाई 2014 और मार्च 2015 के बीच सात जिला परिवहन कार्यालयों[25] के करारोपण पंजी, मां.सं.ब. पंजियों, अभ्यर्पण पंजियों एवं कंप्यूटरीकृत आँकड़ों के नमूना जाँच में पाया कि 5,903 ट्रेलरों में से 1,155 ट्रेलर के मालिकों ने मार्च 2010 एवं मार्च 2015 के बीच कर का भुगतान नहीं किया। इनमें से किसी भी मामले में मालिकों के पते में परिवर्तन अभिलेख में नहीं पाया गया। इस प्रकार झा.मो.वा.क. अधिनियम, 2001 की धारा 5 एवं झा.मो.वा.क. नियमावली, 2001 के नियम 4 के अंतर्गत वे कर एवं अर्थदंड के भुगतान के उत्तरदायी थे। जि.प.प. ने भी झा.मो.वा.क. नियमावली, 2001 के नियम 23 के अनुसार आवधिक रूप से मां.सं.ब. पंजी को अद्यतन नहीं किया, इसलिए उनके पास प्रमादी ट्रेलर मालिकों की संख्या एवं उनसे उद्गृहीत किये जाने वाले करों का विवरण नहीं था। जिला परिवहन पदाधिकारियों ने प्रमादी वाहन मालिकों के विरूद्ध कर एवं अर्थदण्ड का माँग सृजित नहीं किया, जिसके परिणामस्वरुप ` 1.05 करोड़ के अर्थदंड सहित ` 1.57 करोड़ के कर का आरोपण नहीं हुआ।

मामले को हमारे द्वारा इंगित किये जाने के बाद (जुलाई 2014 एवं मार्च 2015 के बीच) जि.प.प., कोडरमा ने सूचित किया (अगस्त 2015) कि प्रमादी वाहन मालिकों के विरुद्ध माँग पत्र निर्गत कर दिये गये हैं और आठ मामलों में ` 55,800 की वसूली की गयी है। परिवहन सचिव ने जि.प.प. को (अगस्त 2015) बड़े प्रमादियों की पहचान करने और उनके विरुद्ध बकाये कर के उद्ग्रहण के लिए एक गहन अभियान चलाने का निर्देश दिया। उन्होंने आगे कहा कि 5/10 वर्षों के एकमुश्त कर का प्रस्ताव रखा जाएगा। तदंतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।

## 4.6 वैयक्तिक वाहनों पर एकमुश्त कर का आरोपण नहीं होना

**छः से 10 बैठान क्षमता वाले प्रमादी वैयक्तिक वाहनों से उद्ग्रहनीय एकमुश्त कर व अर्थदंड ` 97.50 लाख का आरोपण नहीं किया गया**

हमने जुलाई 2014 एवं मार्च 2015 के बीच सात जिला परिवहन कार्यालयों[26] में करारोपण पंजी एवं कंप्यूटरीकृत आँकड़े की नमूना जाँच से पाया कि 4,738 वैयक्तिक वाहनों में से 341 की कर वैधता मार्च 2006 और अगस्त 2014 के बीच समाप्त हो गयी थी। जि.प.प. ने माँग, वसूली एवं बकाया पंजियों की आवधिक रूप से समीक्षा नहीं की। इसके परिणामस्वरुप झारखण्ड मोटर वाहन करारोपण (संशोधन) अधिनियम, 2011 की धारा 2(जी) तथा झा.मो.वा.क. अधिनियम, 2001 की धारा 7 के प्रावधानानुसार ` 37.14 लाख के ब्याज सहित कुल ` 85.92 लाख के एकमुश्त कर का आरोपण नहीं हुआ। साथ ही, 22 मई 2011 तक झा.मो.वा.क. अधिनियम,

[25] चाईबासा, देवघर, गिरिडीह, जामताड़ा, कोडरमा, साहिबगंज और सरायकेला-खरसावाँ।

[26] चाईबासा, देवघर, गिरिडीह, जामताड़ा, कोडरमा, साहिबगंज और सरायकेला-खरसावाँ।

2001 की धारा 5 एवं झा.मो.वा.क. नियमावली, 2001 के नियम 4 के अंतर्गत ` 7.72 लाख के अर्थदंड सहित ` 11.58 लाख का कर भी आरोप्य था।

मामलों को हमारे द्वारा इंगित किये जाने के बाद (जुलाई 2014 और मार्च 2015 के बीच) जि.प.प., कोडरमा (अगस्त 2015) ने कहा कि दो मामलों में ` 55,750 की राशि की वसूली की गयी है। परिवहन सचिव ने जि.प.प को बड़े प्रमादियों की पहचान करने और उनके विरुद्ध बकाया करों के उदग्रहण के लिए एक गहन अभियान चलाने का निर्देश दिया (अगस्त 2015)। तदंतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।

## 4.7 बैंकों द्वारा संग्रहित राजस्व को जमा करने में विलंब के कारण भुगतेय ब्याज का उद्ग्रहण नहीं होना

**संग्राहक बैंक ने संग्रहित राजस्व के सरकारी खाते में विलंब से स्थानांतरण के कारण भुगतेय ` 21.36 लाख का ब्याज निर्धारित समय के अन्तर्गत क्रेडिट नहीं किया।**

हमने मार्च 2015 में जिला परिवहन कार्यालय, साहिबगंज में संग्रहित राजस्व के प्रेषणों की बैंक विवरणी के नमूना जाँच के दौरान देखा कि संग्राहक बैंक अर्थात भारतीय स्टेट बैंक, साहेबगंज ने बिहार वित्तीय नियमावली (झारखण्ड सरकार द्वारा अंगीकृत) के नियम 37 के प्रावधानों तथा परिवहन आयुक्त, झारखण्ड के निर्देशों (जनवरी 2001) के प्रतिकूल 2012-13 और 2013-14 वर्षों के लिए ` 21.12 करोड़ की राशि को निर्धारित समय के अंदर सरकारी खाते में जमा हेतु एस.बी.आई., डोरण्डा शाखा में क्रेडिट नहीं किया और भारतीय रिजर्व बैंक (भा.रि.बैं.) के निर्देशों के अनुसार ` 21.36 लाख के दंडात्मक ब्याज के भुगतान का उत्तरदायी है। विलंब का दायरा एक महीने से 10 महीनों के बीच था। इसने इंगित किया कि विभाग ने संग्राहक बैंकों के साथ ब्याज के भुगतान के मामले का अनुश्रवण नहीं किया एवं प्रभावी रूप से अनुसरण भी नहीं किया।

परिवहन सचिव ने जि.प.प. को बैंकों द्वारा सरकारी राजस्व के स्थानांतरण पर आवधिक निगाह रखने का निर्देश दिया (अगस्त 2015)। तदंतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।

## 4.8 ट्रेलरों का अल्प निबंधन

**ट्रैक्टरों के विरुद्ध ट्रेलरों के अल्प निबंधन ने ` 15.72 लाख के राजस्व वंचित किया**

हमने मार्च 2015 में जिला परिवहन कार्यालय, साहिबगंज में 2009-10 से 2013-14 के दौरान निबंधित वाहनों की सूची के साथ साथ करारोपण और निबंधन पंजी के नमूना जाँच से पाया कि वर्षों के दौरान तीन[27] पड़ोसी जिलों की तुलना में, जो 100 प्रतिशत था, निबंधित ट्रेलरों की संख्या निबंधित ट्रैक्टरों की संख्या के मात्र 35 प्रतिशत और 48 प्रतिशत के बीच था। परिवहन विभाग द्वारा जुलाई 2007 में

[27] देवघर, दुमका एवं जामताड़ा।

निर्गत निर्देश जिसमें निबंधन के समय ट्रैक्टर एवं ट्रेलर दोनों का निबंधन सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया था, को स्थगित रखकर 1,061 ट्रैक्टरों के विरुद्ध मात्र 406 ट्रेलर ही निबंधित किये गये। धारा 4 में प्रावधान है कि कृषि उत्पादों के परिवहन हेतु उपयोग किया जाने वाला मोटरवाहन सिर्फ कृषि उद्देश्यों हेतु उपयोग में लाया गया वाहन नहीं माना जायेगा। ट्रेलर की अनुपस्थिति में, ट्रैक्टर की उपयोगिता का ज्यादा महत्व नहीं है। वाहन मालिकों में ट्रेलरों का निबंधन नहीं कराकर झा.मो.वा.क. अधिनियम, 2001 की धारा 5 के अंतर्गत भुगतेय ` 2,400 का वार्षिक कर छुपाने की प्रवृत्ति है। इस प्रकार, ट्रेलरों के अल्प निबंधन के कारण सरकार ` 15.72 लाख के राजस्व से वंचित रही।

परिवहन विभाग ने जि.प.प. को ट्रैक्टर एवं ट्रेलर का निबंधन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। यह भी बताया गया कि दोनों पर सम्मिलित कर आरोपित करने की संभाव्यता का पता लगाया जायेगा। तथापि, विभागीय निर्देशों का अनुसरण करने के लिए जि.प.प. द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। तदंतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।